कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2017 / 1068 दिनांक :: 12.09.2017

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 3 जुलाई, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 3 जुलाई, 2017 का कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 3 जुलाई, 2017 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 3 जुलाई, 2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: मेगा आवास योजना ग्राम आंगणवा में श्री मांगीलाल को आवंटित आवास गृह संख्या E09/SF/23 की बकाया राशी मय ब्याज व शास्ती सहित जमा करवाने बाबत।

राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रचर लिमिटेड द्वारा मेगा आवास योजना 2013–14 ग्राम आंगणवा–नागौर बाई पास रोड, जोधपुर पर निर्मित जी3 के अन्तर्गत दिनांक 10.04.2015 को लॉटरी द्वारा सफल आवेदको को आवास / फ्लेट आवंटन किये गये थे। आवंटियो को आवटन–पत्र अनुसार किश्तो में रूपये जमा कराने थे आवंटन–पत्र में अंकित नोट के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार आवास आवंटन मांग–पत्र जारी होने की तिथी से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में फ्लेट का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा। भूमि निस्पादन नियम 1974 के नियम 17(5)1 के तहत आवंटन बहाल करने की शक्तियॉ एक वर्ष तक अध्यक्ष महोदय में निहित है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 09.06.09 के कार्यवाही विवरण क्रमांक बैठक / 2009 / 1141–66 / दिनांक 17 जून, 2009 में प्रस्ताव संख्या 17(2) को निम्नानुसार स्वीकार किया गया था

The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 नगर विकास न्यास के लिए बने हुए हैं इसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इन नियमों में निम्न अनुसार अधिकारियों को अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

12.9.17

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 के नियमो में विभिन्न कार्यो को सम्पादन करने के अधिकार अध्यक्ष न्यास, न्यास समिति एवं राज्य सरकार में निहित है, प्राधिकरण के परिप्रेक्ष्य में The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 के समस्त नियमों के तहत कार्य निम्न अनुसार सम्पादित किये जावे:–

1. The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां अध्यक्ष न्यास अंकित है। वे समस्त शक्तिया जोधपुर विकास आयुक्त को प्रदत्त हो।

2. The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियॉ कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त हो।

3. The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां राज्य सरकार अंकित है वे शक्तियॉ राज्य सरकार की ही रहेगी।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 09.06.09 के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार बिन्दु संख्या 1 अध्यक्ष महोदय के स्थान पर आयुक्त महोदय को प्रदत है।

मेगा आवास योजना 2013–14 ग्राम आंगणवा–नागौर बाई पास रोड, जोधपुर में सूची अनुसार आवंटित प्रकरण एक वर्ष से दो वर्ष तक कार्यकारी समिति को नियमन करने की शक्तिया प्रदान की गई।

राजस्थान नगरीय, पेयजल सिवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पत्र क्रमांक राविल/जोधपुर/2016–17/987 दिनांक 22.08.2016 के बिन्दु संख्या 4 आवंटी का आवंटन–पत्र जारी किया जा चूका है आवंटी द्वारा समयावधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में पुस्तिका के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार देय राशि पर विलम्ब अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लेते हुए राशि स्वीकार की जा सकती है। ऐसा संस्था द्वारा उस स्थिति में किया जायेगा जब आवास उपलब्ध हो।

प्रार्थी श्री मांगीलाल पुत्र श्री मंगलाराम को आवंटित आवास संख्या **E09/SF/23** ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवास की राशि जमा कराने की मांग की हैं। पत्रावली में आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन किया जा चूका हैं। इसी योजना में पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 के प्रस्ताव संख्या 7 में निर्णय लिया गया था। कि नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार आवासगृह संख्या ई09/एसएफ/23 जो कि आंगणवा में श्री मांगीलाल को दिनांक 30 जुलाई, 2015 को आवंटन हुआ था। जिसकी निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराने के कारण स्वतः निरस्तीकरण की तिथि आवंटन की तिथि से 90 दिवस पश्चात् अर्थात् 30 अक्टूबर, 2015 है। जिसके 2 वर्ष के भीतर नियमितिकरण की अधिकारिता प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का आवासगृह आवंटन किया गया है एवं इस प्रकार के आवंटन के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा आदेश कमांक प.3 (3)1201/नविवि/3/2012 दिनांक 9 मार्च, 2017 जारी किया गया है जिसमें राज्य सरकार ने एक विशेष स्वीकृति के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2017–18 में की गयी घोषणा के कम में ई.डब्ल्यू.एस. एवं

12.9.17

एल.आई.जी. में दिनांक 1 जनवरी, 2001 से आवंटित आवासों में बकाया राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक एक मुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पैनल्टी में शतप्रतिशत छूट प्रदान की है। अतः उक्त आदेश के क्रम में यह निर्णय लिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा समस्त देय राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक एक मुश्त जमा करवा दी जाती है तो उसे ब्याज व शास्ति में छूट दी जाती है।

प्रस्ताव संख्या 3 :: मेगा आवास योजना ग्राम आंगणवा में श्री सत्यनारायण को आवंटित आवास गृह संख्या L23/FF/05 की बकाया राशी मय ब्याज व शास्ती सहित जमा करवाने बाबत।

राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रचर लिमिटेड द्वारा मेगा आवास योजना 2013–14 ग्राम आंगणवा–नागौर बाई पास रोड, जोधपुर पर निर्मित जी3 के अन्तर्गत दिनांक 10.04.2015 को लॉटरी द्वारा सफल आवेदको को आवास/फ्लेट आवंटन किये गये थे। आवंटियो को आवटन–पत्र अनुसार किश्तो में रूपये जमा कराने थे आवंटन–पत्र में अंकित नोट के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार आवास आवंटन मांग–पत्र जारी होने की तिथी से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में फ्लेट का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा। भूमि निस्पादन नियम 1974 के नियम 17(5)1 के तहत आवंटन बहाल करने की शक्तियॉ एक वर्ष तक अध्यक्ष महोदय में निहित है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 09.06.09 के कार्यवाही विवरण क्रमांक बैठक/2009/1141–66/दिनांक 17 जून, 2009 में प्रस्ताव संख्या 17(2) को निम्नानुसार स्वीकार किया गया था

The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 नगर विकास न्यास के लिए बने हुए हैं इसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इन नियमों में निम्न अनुसार अधिकारियों को अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 के नियमो में विभिन्न कार्यो को सम्पादन करने के अधिकार अध्यक्ष न्यास, न्यास समिति एवं राज्य सरकार में निहित है, प्राधिकरण के परिप्रेक्ष्य में The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 के समस्त नियमों के तहत कार्य निम्न अनुसार सम्पादित किये जावेः–

1. The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां अध्यक्ष न्यास अंकित है। वे समस्त शक्तिया जोधपुर विकास आयुक्त को प्रदत्त हो।

2. The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियॉ कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त हो।

3. The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां राज्य सरकार अंकित है वे शक्तियॉ राज्य सरकार की ही रहेगी।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 09.06.09 के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार बिन्दु संख्या 1 अध्यक्ष महोदय के स्थान पर आयुक्त महोदय को प्रदत है।

12.5.17

मेगा आवास योजना 2013–14 ग्राम आंगणवा–नागौर बाई पास रोड, जोधपुर में सूची अनुसार आवंटित प्रकरण एक वर्ष से दो वर्ष तक कार्यकारी समिति को नियमन करने की शक्तिया प्रदान की गई।

राजस्थान नगरीय, पेयजल सिवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पत्र क्रमांक राविल/जोधपुर/2016–17/987 दिनांक 22.08.2016 के बिन्दु संख्या 4 आवंटी का आवंटन–पत्र जारी किया जा चूका है आवंटी द्वारा समयावधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में पुस्तिका के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार देय राशि पर विलम्ब अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लेते हुए राशि स्वीकार की जा सकती है। ऐसा संस्था द्वारा उस स्थिति में किया जायेगा जब आवास उपलब्ध हो।

प्रार्थी श्री सत्यनारायण को आवंटित आवास संख्या **L23/FF/05** ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर आवास की राशि जमा कराने की मांग की हैं। पत्रावली में आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन किया जा चूका हैं। इसी योजना में पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 के प्रस्ताव संख्या 7 में निर्णय लिया गया था, की नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार आवासगृह संख्या एल.23/एफएफ/05 जो कि आंगणवा में श्री सत्यनारायण पुत्र श्री रामदीन को दिनांक 3 सितम्बर, 2015 को आवंटन हुआ था। जिसकी निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराने के कारण स्वतः निरस्तीकरण की तिथि आवंटन की तिथि से 90 दिवस पश्चात् अर्थात् 2 दिसम्बर, 2015 है। जिसके 2 वर्ष के भीतर नियमितिकरण की अधिकारिता प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का आवासगृह आवंटन किया गया है एवं इस प्रकार के आवंटन के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा आदेश कमांक प.3 (3)1201/नविवि/3/2012 दिनांक 9 मार्च, 2017 जारी किया गया है जिसमें राज्य सरकार ने एक विशेष स्वीकृति के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2017–18 में की गयी घोषणा के कम में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. में दिनांक 1 जनवरी, 2001 से आवंटित आवासों में बकाया राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक एक मुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पैनल्टी में शतप्रतिशत छूट प्रदान की है। अतः उक्त आदेश के कम में यह निर्णय लिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा समस्त देय राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक एक मुश्त जमा करवा दी जाती है तो उसे ब्याज व शास्ति में छूट दी जाती है।

प्रस्ताव संख्या 4 :: मेगा आवास योजना ग्राम आंगणवा में श्री कैलाश को आवंटित आवास गृह संख्या E07/TF/30 की बकाया राशी मय ब्याज व शास्ती सहित जमा करवाने बाबत।

राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फास्ट्रचर लिमिटेड द्वारा मेगा आवास योजना 2013–14 ग्राम आंगणवा–नागौर बाई पास रोड, जोधपुर पर निर्मित जी3 के अन्तर्गत दिनांक 10.04.2015 को लॉटरी द्वारा सफल आवेदको को आवास/फ्लेट आवंटन किये गये थे। आवंटियो को आवटन–पत्र अनुसार किश्तो में रूपये जमा कराने थे आवंटन–पत्र में अंकित नोट के बिन्दु संख्या 02 के अनुसार आवास आवंटन मांग–पत्र जारी होने की तिथी से 90 दिवस में नजराना राशि जमा न होने की स्थिति में फ्लेट का आवंटन स्वतः निरस्त माना जावेगा। भूमि निस्पादन नियम 1974 के नियम 17(5)1 के तहत आवंटन बहाल करने की शक्तियॉ एक वर्ष तक अध्यक्ष महोदय में निहित है।

12.9.17

जोधपुर विकास प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 09.06.09 के कार्यवाही विवरण क्रमांक बैठक/2009/1141-66/दिनांक 17 जून, 2009 में प्रस्ताव संख्या 17(2) को निम्नानुसार स्वीकार किया गया था

The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 नगर विकास न्यास के लिए बने हुए हैं इसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इन नियमों में निम्न अनुसार अधिकारियों को अधिकृत करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 के नियमो में विभिन्न कार्यो को सम्पादन करने के अधिकार अध्यक्ष न्यास, न्यास समिति एवं राज्य सरकार में निहित है, प्राधिकरण के परिप्रेक्ष्य में The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 के समस्त नियमों के तहत कार्य निम्न अनुसार सम्पादित किये जावे:-

1. The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां अध्यक्ष न्यास अंकित है। वे समस्त शक्तिया जोधपुर विकास आयुक्त को प्रदत्त हो।

2. The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियॉ कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त हो।

3. The Rajasthan Imporvement Trust (Disposal of Urbabn Land) Rule, 1974 में जहां राज्य सरकार अंकित है वे शक्तियॉ राज्य सरकार की ही रहेगी।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की तृतीय बैठक दिनांक 09.06.09 के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार बिन्दु संख्या 1 अध्यक्ष महोदय के स्थान पर आयुक्त महोदय को प्रदत है।

मेगा आवास योजना 2013-14 ग्राम आंगणवा-नागौर बाई पास रोड, जोधपुर में सूची अनुसार आवंटित प्रकरण एक वर्ष से दो वर्ष तक कार्यकारी समिति को नियमन करने की शक्तिया प्रदान की गई।

राजस्थान नगरीय, पेयजल सिवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को पत्र क्रमांक राविल/जोधपुर/2016-17/987 दिनांक 22.08.2016 के बिन्दु संख्या 4 आवंटी का आवंटन-पत्र जारी किया जा चूका है आवंटी द्वारा समयावधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में पुस्तिका के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार देय राशि पर विलम्ब अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लेते हुए राशि स्वीकार की जा सकती है। ऐसा संस्था द्वारा उस स्थिति में किया जायेगा जब आवास उपलब्ध हो।

प्रार्थी श्री कैलाश पुत्र श्री सुन्दरदास को आवंटित आवास संख्या **E07/TF/30** ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवास की राशि जमा कराने की मांग की हैं। पत्रावली में आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन किया जा चूका हैं। इसी योजना में पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 के प्रस्ताव संख्या 7 में निर्णय लिया गया था, की नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार आवासगृह संख्या ई.07/टीएफ/30 जो कि आंगणवा में श्री कैलाश पुत्र श्री सुन्दरदास को दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 को आवंटन हुआ था। जिसकी निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं कराने के कारण स्वतः निरस्तीकरण की तिथि आवंटन की तिथि से 90 दिवस पश्चात् अर्थात् 15 जनवरी, 2016 है। जिसके 2 वर्ष के भीतर नियमितिकरण की अधिकारिता प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी का आवासगृह आवंटन किया गया है एवं इस प्रकार के आवंटन के संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.3 (3)1201/नविवि/3/2012 दिनांक 9 मार्च, 2017 जारी किया गया है जिसमें राज्य सरकार ने एक विशेष स्वीकृति के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2017-18 में की गयी घोषणा के क्रम में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. में दिनांक 1 जनवरी, 2001 से आवंटित आवासों में बकाया राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक एक मुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पैनल्टी में शतप्रतिशत छूट प्रदान की है। अतः उक्त आदेश के क्रम में यह निर्णय लिया जाता है कि प्रार्थी द्वारा समस्त देय राशि दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक एक मुश्त जमा करवा दी जाती है तो उसे ब्याज व शास्ति में छूट दी जाती है।

प्रस्ताव संख्या 5 :: ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 707 व 847 में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की आवासीय योजना लांच के संबंध में ।

राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम झालामण्ड का खसरा संख्या 707, रकबा 46.16 बीघा, किस्म में गै.मु. गोचर एवं खसरा संख्या 847, रकबा 6.10 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर, वर्तमान में प्राधिकरण के नाम दर्ज है । प्राधिकरण के तहसीलदार एवं पटवारी की अद्यतन मौका-रिपोर्ट अनुसार उक्त दोनो खसरों की कुल भूमि क्रमशः 46.16+6.10=53.06 बीघा भूमि वर्तमान में मौके पर खाली हे । इस भूमि के चारों तरफ आवासीय कॉलोनियॉ कट चुकी है तथा कुछ मकानात् भी बने हुए है । प्राधिकरण की आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 707 तथा 847 का भू-उपायोग वर्तमान में प्रचलित मास्टर प्लान अनुसार आवासीय आरक्षित है तथा खसरा संख्या 707 के अन्दर से प्रस्तावित सडक गुजर रही ।

प्राधिकरण द्वारा यदि इस भूमि पर आवासीय कॉलोनी गंगा विहार बना कर भूखण्डो का आवंटन किया जावें । उक्त भूमि पर प्राधिकरण की आवासीय योजना गंगा विहार लांच की जा चुकी है । भूखण्डों के आवंटन हेतु भी आवेदन पत्रों का विक्रय किया जा रहा है । अतः ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 847 व 707 रकबा 53.06 बीघा भूमि पर प्राधिकरण की गंगा विहार योजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है । प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ हेतू प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 707 एवं 847 में कुल रकबा 53-06 बीघा में नई आवासीय योजना गंगा विहार लांच की गयी है। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति को प्रदत्त शक्तियां जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा (7) (2) (iv) Preparation of projects and schemes; के तहत आरक्षित दर 11,000/- रूपये प्रति वर्ग मीटर अनुमोदन किया जाता है एवं उक्त अनुमोदन पश्चात्वर्ती section (16) (b) formation and sanction of the projects and schemes for the development of the Jodhpur Region or any part thereof. के तहत प्राधिकरण की शक्तियों के अनुरूप अनुमोदन करवाने की प्रत्याक्षा में अनुमोदित किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 6 :: ग्राम नान्दड़ी के खसरा संख्या 112/3 में ओ.सी.एफ. की भूमि रकबा 884.08 वर्गगज को विद्यालय निर्माण एवं विकास कार्य हेतु

12.9.17

निशुल्क आवंटन करने बाबत्।

ग्राम नान्दड़ी के खसरा संख्या 112/3 में ओ.सी.एफ. की भूमि कुल क्षेत्रफल 884.08 वर्गगज को विद्यालय निर्माण एवं विकास कार्य हेतु आवंटन करने के लिए उपनिदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पेश किया गया था। तत्पश्चात् प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 जून, 2017 में उक्त प्रकरण को निर्णयार्थ रखा गया। समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार "उक्त विद्यालय क्रमोन्नत होकर माध्यमिक स्तर का हो चुका है। अतः बार विचार–विमर्श सर्व–सम्मति से ग्राम नान्दड़ी के खसरा संख्या 112/3 में ओ.सी.एफ. की रकबा 884 वर्गगज भूमि नवक्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नान्दड़ी को निःशुल्क आवंटन करने के लिए राज्य सरकार को मय प्राधिकरण की अनुशंषा भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।" संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर के पत्रांक प.1(37)नविवि/जोधपुर/2017 जयपुर, दिनांक 28/07/17 के अनुसार निर्देश दिये गये कि "विभागीय आदेश दिनांक 25/11/16 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर तक निशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों/न्यासों/नगरीय निकायों को प्रत्यायोजित की गई है। उक्त आदेश अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जावें।"

अतः राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 28/07/2017 के आधार पर प्राधिकरण स्तर पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। इसलिए उक्त भूमि को निशुल्क आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 28 जुलाई, 2017 के अनुसार राज्य ग्राम नांदडी के खसरा संख्या 112/3 में ओ.सी.एफ. की भूमि कुल रकबा 884.08 वर्ग गज भूमि विद्यालय निर्माण एवं विकास कार्य हेतु राजकीय माध्यमिक विद्यालय नांदडी को निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: आनन्द विहार आवासीय योजना ग्राम मोकलावास खसरा संख्या 512 में आवासीय योजना तैयार करवाने बाबत।

खसरा नं. 512 ग्राम बडली में प्राधिकरण द्वारा आनन्द विहार योजना में कुल 1278 भूखण्डों की योजना तैयार की गई है, जिसकी लोंचीन्ग 10.07.2017 को माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकगणों द्वारा की गई है, जिसकी अन्तिम तिथी 31.08.2017 को थी, अतः उपरोक्त योजना की अन्तिम तिथी 10.10.2017 हेतु बढाना प्रस्तावित है, प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम बडली के खसरा संख्या 512 में कुल क्षैत्रफल 483644.68 वर्ग मीटर भूमि पर उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित नई आवासीय योजना आनन्द विहार योजना लांच की गयी है। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति को प्रदत्त शक्तियां जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा (7) (2) (iv) Preparation of projects and schemes; के तहत आरक्षित दर 4,500/– रूपये प्रति वर्ग मीटर अनुमोदन किया जाता है एवं उक्त अनुमोदन पश्चात्वर्ती section (16) (b) formation and sanction of the projects and schemes for the development of the Jodhpur Region or any part thereof. के तहत प्राधिकरण

12-9-17

की शक्तियों के अनुरूप अनुमोदन करवाने की प्रत्याक्षा में अनुमोदित किया जाता है। इस योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 15 अक्टूबर, 2017 तक बढ़ायी जाती है।

प्रस्ताव संख्या 8 :: श्री विष्णुचन्द गोयल भूखण्ड संख्या 192 सेक्टर ई राजीव गांधी नगर योजना के एवज में अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत्।

श्री विष्णुचंद गोयल को भूखण्ड संख्या 192 सेक्टर ई राजीज गांधी नगर योजना में लॉटरी 12X21 252 वर्गमीटर आंवटर हुआ है, जिसकी सड़क की चौड़ाया 18 मीटर थी, प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड की कीमत राशि भी समयावधि में पूर्ण जमा करा दी है, तत्पश्चात् प्रार्थी आवंटित भूखण्ड की लीज डीड तैयार करने की मांग की गई थी। अतः लीज डीड हेतु पत्रावली मौका रिपोर्ट हेतु कनिष्ठ अभियंता को भिजवाई गई थी, कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त भूखण्ड कॉर्नर का दर्शाया है, भूखण्ड का माप 341.77 मीटर दर्शाया है, यानि 408.76 वर्गगज होता है, एवं 252 वर्गमीटर यानि 303.39 वर्गगज है। इस प्रकार प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल 303.39–408.76 वर्गगज 105.37 वर्गगज अधिक होने से नियमानुसार 100 वर्गगज से अधिक का क्षेत्रफल नियमन नहीं किया जा सकता है। कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 17.02.2012 के प्रस्ताव संख्या 4 के अन्तर्गत निर्णय लिया गया कि आवंटित भूखण्ड कॉर्नर का होने के वजह से निलाम किया जावें एवं इसके बदले अन्यत्र भूखण्ड दिया जावें।

उपरोक्त प्रकरण लॉटरी समिति में रखने हेतु, उपायुक्त द्वारा प्रस्तावना की गई। प्रार्थी को कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 17.02.2012 के प्रस्ताव की पालना में अन्यत्र भूखण्ड की कार्यवाही नहीं होने से प्रकरण को राजस्थान सर्म्पक पोर्टल में शिकायत दर्ज करवाई जा रही है, जिसपर अन्यत्र रिक्त भूखण्ड संख्या 59,69,92,96 सेक्टर ई राजीव गांधी नगर में की कनिष्ठ अभियंता से मौका रिपोर्ट मंगवाई जाने पर भूखण्ड सं. 59 का माप 252 वर्गमीटर, भूखण्ड सं. 69 का माप 252 वर्गमीटर है, जिसकी सड़क की चौडाई 24 मीटर दर्शाई है, तथा भूखण्ड सं. 92 एवं भूखण्ड सं. 96 का माप भी 252 वर्गमीटर है, जिसकी सड़क की चौडाई 18 मीटर है, अतः प्रार्थी को अन्यत्र भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में निणयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया कि। चूंकि प्रार्थी ने आवेदन 252 वर्ग मीटर क्षैत्रफल के आकार के भूखण्ड के लिए किया गया था एवं उसको लॉटरी के द्वारा भूखण्ड संख्या ई–192 आवंटित किया गया जिसका क्षैत्रफल 341.77 वर्ग मीटर है। अतः सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को उसके द्वारा आवेदित क्षैत्रफल का इसी योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या 92 जिसका माप आवेदित भूखण्ड के क्षैत्रफल के बराबर अर्थात् 252 वर्ग मी ही है, आवंटित किया जावे एवं दोनों ही भूखण्ड अर्थात् भूखण्ड संख्या ई–192 एवं भूखण्ड संख्या ई–92 18 मीटर चौडी सडक पर स्थित है। इसके साथ ही भूखण्ड संख्या ई–192 का आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: भूखण्ड संख्या 56 सेक्टर–'बी' अरणा विहार योजना ग्राम बडली की राशि जमा कराने बाबत्।

प्राधिकरण द्वारा लॉटरी दिनांक 12.03.2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 56 सेक्टर–'बी' श्रीमति उर्मिला पत्नी श्री पेंपाराम को आवंटन किया गया था। भूखण्ड का आवंटन पत्र श्री खेमाराम पुत्र श्री भूराराम को क्रमांक 321 दिनांक 06.04.2016 के द्वारा जारी किया गया । आवंटी श्रीमति उर्मिला पत्नी श्री पेंपाराम द्वारा आवंटन पत्र प्राप्ति के निर्धारित समयावधि 90 दिवसों में भूखण्ड की बकाया राशि जमा नहीं कराने से भूखण्ड भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 के नियम 17(5) की श्रेणी में आता है । आवंटन पत्र प्राप्ति से निर्धारित समावधि 90 दिवस

12.9.17

पश्चात् 1 वर्ष गुजर जाने के पश्चात् भूखण्ड की बकाया राशि मय ब्याज व शास्ती सहित जमा कराने की शक्तियां कार्यकारी समिति में निहित है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त भूखण्उ की राशि नियमानुसार जमा कराने की मांग की है । भूखण्ड की बकाया राशि मय 10 प्रतिशत शास्ती व 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल योग्य है । अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 56 सेक्टर बी श्रीमती उर्मिला पत्नि श्री पैपाराम को दिनांक 6 अप्रैल, 2016 को आवंटित किया गया था जिसकी निर्धारित समय सीमा में राशि जमा नहीं होने से प्रकरण स्वतः निरस्तीकरण के दायरे में आ गया है। अतः सर्व सम्मति से भूखण्ड को बहाल करने का निर्णय लिया एवं प्रार्थीया से नियमानुसार ब्याज व शास्ति जमा करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम मोकलावास खसरा नं. 512 एवं ग्राम तिवरी खसरा 761/722 में नवीन आवासीय योजना लोंच करने हेतु। मैसर्स सिदु सर्वेयर कम्पनी से करनवाने उपरान्त भुगतान करने बाबत्।

तत्कालिन आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा खसरा नं. 512 ग्राम मोकलावास एवं खसरा नं. 761/722 ग्राम तिवरी हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 513/519 दिनांक 17.09.2016 के अनुसार नई आवासीय योजना लोंच करने हेतु, सर्वे टिम के साथ पटवारी, सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं सहायक नगर नियोजक को अलग–अलग टिम बनाकर सर्वे कार्य हेतु मैसर्स सिदु सर्वेयर को कम्पनी को कार्यादेश जारी किया गया। उपरोक्त खसरे में सर्वेकार्य हेतु मैसर्स सिदु सर्वेयर कम्पनी को कार्यालय आदेश क्रमांक 1598–1608 दिनांक 14.09.2016 को नई आवासीय योजना लोंच करने हेतु, कुल राशि 6,47,125/– रू का कार्यादेश जारी किया गया है। कार्यादेश के विरूद्व मैसर्स सिदु सर्वेयर कम्पनी द्वारा 16,19,284/– रू का बिल प्रस्तुत कर भुगतान करने का अनुरोध किया।

उपरोक्त प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 03.03.2017 के प्रस्ताव संख्या 39 के निर्णय अनुसार प्रकरण प्राधिकरण बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण बैठक दिनांक 15.05.2017 के प्रस्ताव संख्या 11 में निर्णय लिया की, प्रकरण पुनः कार्याकारी समिति बैठक में नियमानन्तर्गत परीक्षण कर प्रस्तुत करने के लिए निदेशक–वित्त को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया। जिस पर निर्देशक वित्त की टिप्पणी पत्रावली के पेरा संख्या 71 में दी गई की, RTPP एक्ट में 50 प्रतिशत से अधिक के भुगतान की शक्तिया प्राधिकरण को प्राप्त नहीं है, अतः प्रकरण राज्य सरकार से मार्गदर्शन हेतु भिजवाया जावें। उपरोक्त टिप्पणी पर आयुक्त महोदय द्वारा आदेश पत्रावली के पेरा संख्या 72 में दियं गये की प्रकरण राज्य सरकार में भेजने से पूर्व प्राधिकरण निर्णय अनुसार कार्यकारी समिति बैठक परिक्षण हेतु रखा जावें, कार्यकारी समिति बैठक मे निर्णय उपरान्त कोई अग्रिम निर्णय लिया जा सकता है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 16.06.2017 को प्रस्ताव संख्या 6 में निर्णय लिया की, तत्कालिन उपायुक्त पश्चिम से विस्तृत रिपोर्ट के सम्बन्ध में लिया जावें।

पत्रावली के पेरा संख्या 88 में तत्कालिन उपायुक्त पश्चिम द्वारा कार्यकारी समिति बैठक के निर्णय की पालना में विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित की गई है,

कं. सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	सर्वे करने हेतु आदेशित क्षेत्रफल	मौके पर भौतिक रूप से किया गया सर्वे	अधिक किये गये सर्वे का क्षेत्रफल
1.	तिंवरी	761/22	300 बीघा अर्थात	1013.33 एकड़	893.33 एकड़

12.9.17

			120 एकड़		
2.	मेकलावास	512	2833.05 बीघा अर्थात 1133.22 एकड़	1979.96 एकड़	846.76 एकड़

उपरोक्त दोनो ग्रामों के दोनों खसरो का सर्वे करने के दौरान सर्वे कार्य का पर्यवेक्षण एवं निगरानी करने हेतु एक कमेठी का भी गठन किया गया था। उपरोक्त आदेशित रकबे से ज्यादा रकबे का सर्वे करने का कारण यह था, कि उक्त सर्वे कार्य करने के दौरान राजस्व अधिकारियों के समक्ष एक व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुई, कि जबतक उक्त खसरे का सम्पुर्ण सर्वे नहीं किया जायेगा तबतक राजस्व मानचित्र पर उक्त सर्वे शीट का सुपर इन्पोजिशन नहीं हो सकेगा। अतः सुपर इन्पोजिशन के अभाव में किस विभाग को कहा–कहा पर जमीन आवंटित की जानी है, अथवा किस विभाग को कहा–कहा पर भौतिक रूप से मौके पर जमीन आवंटित की जा चुकी है, इसका पता नहीं लगा जा सकेगा। तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण के उक्त खसरे पर किन–किन लोगो के अतिक्रमण है, इसका भी पता नहीं लग सकेगा। उपरोक्त तथ्यों के दृष्टीगत रखते हुये पर्यवेक्षण टिम के राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर मैसर्स सिदु सर्वेयर कम्पनी को सम्पर्ण खसरे एवं आस–पास खसरों का भी सर्वे करने हेतु मौखिक रूप से आदेशित किया गया था, उपरोक्त कार्य का निरक्षण करने हेतु प्राधिकरण के उच्च अधिकारी माननीय तत्कालिन आयुक्त महोदय एवं सचिव महोदय के साथ तत्कालिन उपायुक्त पश्चिम एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना करवाया गया, तथा राजस्व अधिकारियों के सुझाव अनुसार राजस्व मानचित्र पर उक्त सर्वे काय को सुपर इन्पोजिशन करने हेतु सम्पर्ण खसरे सर्वे करने हेतु तत्कालिन आयुक्त महोदय द्वारा मौखिक रूप निर्देशित किया गया। अतः तत्कालिन आयुक्त महोदय के मौखिक निर्देशो की पालना में राजस्व अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण खसरों एवं आसपास के खसरों का सर्वे मैसर्स सिदु सर्वेयर कम्पनी से करवाया गया। अतः प्राधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2016 को मैसर्स सिदु सर्वेयर को दिये गये कार्यादेश को संशोधित आदेश जारी किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मैसर्स सिधू सर्वेयर को जितने क्षैत्रफल के लिए लिखित में कार्यादेश दिया गया था, उसका भुगतान कर दिया जावे एवं संबंधित उपायुक्त सर्वे की सॉफ्ट कॉपी व सी.डी. भी मैसर्स सिधू सर्वेयर से प्राप्त करें।

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में पंचायत भवन हेतु आवंटन पत्र जारी करने हेतु पुष्टि बाबत।

ग्राम पंचायत बडली के विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत भवन हेतू नवीन आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र एवं भूमि सं. 10 भरकर खसरा नं. 88 बडली में 10 बीघा भूमि आवंटन का अनुरोध किया गया है। ग्राम बडली खसरा नं. 88 तहसीलदार एवं पटवारी के रिपोर्ट अनुसार खसरे का कुल रक्बा 33.06.18 बीघा एवं भूमि की किस्म गैरमुमकीन छीतर दर्शाया उपरोक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। उपरोक्त प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 12.03.2016 के प्रस्ताव 12.03.2016 में विचारार्थ हेतु रखा गया था, कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 12.03.2016 के प्रस्ताव संख्या 24 में निर्णय लिया की, नवसृजित ग्राम पंचायत भवन हेतु नवीन नीति के अन्तर्गत भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया। भूमि आवंटन करने से पूर्व–उपयोग परिवर्तन की रिपोर्ट आयोजन शाखा से ली गई, जिसमें पत्रावली की पेरा संख्या 18,19,23 में आयोजना शाखा द्वारा रिपोर्ट पेश की गई की खसरा नं. 88 ग्राम बडली के जोधपुर मास्टर प्लान 2023 भू–उपयोग परिधिनियंत्रण पट्टी में आरक्षित दर्शाया है, जिस कारण तत्कालीन आयुक्त महोदय द्वारा निदेशक विधि से गुलाब कोठारी बनाम राज्य एवं अन्य याचिका माननीय उच्च न्यायालय के बारे में रिपोर्ट ली गई।

12.9.17

ग्राम पंचायत बडली के संरपच द्वारा पत्र दिनांक 31.01.2017 को प्रस्तुति कर निवेदन किया की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.11.2016 के अनुसार सरकारी विभागों को 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का प्राधिकरण को अधिकार दिये गये है, अतः प्रकरण पर पुनः आयोजन शाखा से रिपोर्ट ली गई जिसमें भी उपरोक्त खसरे में जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में परिधिनियंत्रण पट्टी में आरक्षित बताया है, अतः आयोजन की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण प्राधिकरण बेठक दिनांक 15.05.2017 को विचारार्थ रखा गया था, जिस पर निर्णय लिया की भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।

प्रकरण राज्य सरकार को नहीं भिजवाकर पुनः शाखा की रिपोर्ट भिजवाई गई, जो पत्रावली के पेरा संख्या 64 में टिप्पणी की गई कि प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग आदेश दिनांक 22.07.2009 द्वारा परिधिनियंत्रण पट्टी से आवासीय, व्यवसायिक एवं संस्थागत आदि हो चुका है, अतः आयोजन शाखा की पूर्व रिपोर्ट सहवन से होने से आवंटित भूमि आवंटन पत्र जारी नहीं किया जा सका ।

अतः ग्राम बडली खसरा नं. 88 का भू–उपयोग परिवर्तन राज्य सरकार की बैठक दिनांक 25.09.2008 के अनुसार किया गया है, अतः ग्राम पंचायत भवन हेतु राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.11.2016 के अनुसार आवंटन पत्र विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बडली को दिनांक 26.06.2017 को जारी किया गया है, अतः जारी किये गये आवंटन पत्र का कार्यकारी समिति बैठक से पुष्टि हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत बडली को 1000 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु जारी आदेश कमांक एफ.46/आवंटन (पश्चिम)/2017–18/ 2231 दिनांक 22 जून, 2017 की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम बड़ली में खसरा नं. 88 में 33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु 2 बीघा भूमि आवंटन करने हेतु।

अधिशाषी अभियंता जिला खण्ड जोधपुर द्वारा ग्राम बड़ली के खसरा नं. 88 में नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स भरकर प्रस्तुत किया गया। 33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु 2 बीघा भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया गया। उपरोक्त प्रकरण दिनांक 10.07.2013 को भूमि आवंटन की कार्यवाही हेतु तहसीलदार पश्चिम एवं पटवारी पश्चिम से रिपोर्ट चाही गई थी। विभाग द्वारा नवीन आवंटन नीति–2015 के तहत प्रपत्र 'स' दिनांक 16.10.2015 को प्रस्तुत किया था जिस पर तहसीलदार की रिपोर्ट हेतु भिजवाई गई थी। जिसमे खसरा नं. 88 किस्म गै.मु. छितर रकबा 3306.18 बीघा की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 88 मास्टर प्लान अरबन एरिया 2023 के अनुसार भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी में दर्शायी थी। तत्पश्चात पुनः आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त खसरे का भू–उपयोग परिवर्तन नगरीय विकास विभाग जयपुर के प्रमुख शासन सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 25.09.2008 को उपरोक्त खसरे का भू–उपयोग परिवर्तन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 88 में कुल रकबा 3306.18 बीघा है। जिसमें से तत्कालीन नगर विकास न्यास एवं वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न

12-9-17

संस्थाओं/विभागों एवं आवासीय योजना आवंटन कुल भूमि 2394.15 बीघा भूमि का उपयोग किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 9.05 बीघा भूमि खनिज विभाग को भी आवंटित है। अतः उपरोक्त संस्थाओं एवं विभागों को एवं आवासीय योजना क्रियान्विति के पश्चात खसरा नं. 88 में 902.18 बीघा भूमि शेष रहती है। जिस पर प्राधिकरण द्वारा अन्य प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की जा सकती है।

33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का मापदण्ड है। तथा उपरोक्त भूमि राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने का प्रावधान है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में 33/11 के.वी. सब स्टेशन हेतु 1,000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने के लिए प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय सर्व सम्मति से लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: भूखण्ड संख्या 353 सेक्टर–'सी' अरणा विहार योजना ग्राम बडली की राशि जमा कराने बाबत् ।

प्राधिकरण द्वारा लॉटरी दिनांक 12.03.2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 353 सेक्टर–'सी' श्री भानुप्रकाश मीणा पुत्र श्री सरदार सिंह मीणा को आवंटन किया गया था । भूखण्ड का आवंटन पत्र श्री भानुप्रकाश मीणा पुत्र श्री सरदार सिंह मीणा को क्रमांक 741 दिनांक 20.04.2016 के द्वारा जारी किया गया । आवंटी श्री भानुप्रकाश मीणा पुत्र श्री सरदार सिंह मीणा द्वारा आवंटन पत्र प्राप्ति के निर्धारित समयावधि 30 दिवस में राशि जमा कराना अनिवार्य था । इसके पश्चात् 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवानी थी, लेकिन प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई । 90 दिवस पश्चात् प्रार्थी का भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है, प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर भूखण्ड की बकाया राशि मय ब्याज व शास्ती के जमा करने की मांग की है । भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 (17)(5) के अनुसार एक वर्ष तक आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात् राशि ब्याज व शास्ती सहित जमा की जा सकती है, किन्तु प्रकरण एक वर्ष से अधिक का हो जाने के कारण कार्यकारी समिति के निर्णय के पश्चात् बकाया राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज व 10 प्रतिशत शास्ती सहित राशि जमा की जानी है । अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 353 सेक्टर–सी अरणा विहार योजना ग्राम बडली में आवेदक श्री भानुप्रकाश मीणा पुत्र श्री सरदार सिंह को दिनांक 12 मार्च, 2016 को आवंटित किया गया था जिसकी राशि निर्धारित समय में जमा नहीं कराने के कारण स्वतः निरस्तीकरण में आ गया है। अतः कार्यकारी समिति द्वारा सर्व सम्मति से नियमानुसार ब्याज व शास्ति लेते हुए प्रकरण को नियमित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: एचआईवी पीडित बच्चों को वस्त्र मंत्रालय के पीछे भूमि आवंटन के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष जोधपुर नेटवर्क ऑफ पिपुल लिविंग एचआईवी संस्थान द्वारा अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 05.12.2012 को प्रार्थना–पत्र पस्तुत कर एचआईवी पोजिटिव बच्चों के चाईल्ड होम हेतु जोधपुर नेटवक ऑफ पिपुल लिविंग एचआईवी संस्था को रियायती

12-9-17

दर पर भूखण्ड का आवंटन करने की मांग की गयी। उक्त संस्थान राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्र्टड संस्था जोधपुर में पंजीकृत है। संस्थान द्वारा 100x120=1333.33 वर्गगज भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है, जिस सम्बन्ध में प्राधिकरण के पटवारी पश्चिम की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा खसरा नं. 76 में स्थित वस्त मंत्रालय और नहर के बीच स्थित भूमि 1392.5 वर्गगज भूमि को रिक्त दर्शाया गया है, सम्भागीय स्तर पर निःशक्तजन/मूक/बधिरों हेतु पंजीकृत संस्थाओं के लिये 2,000 वर्गमीटर तक भूमि नवीन आवंटन नीति 2015 एवं पुरानी आवंटन नीति में भी 2,000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 12.09.2014 के प्रस्ताव संख्या 03 में उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में निर्णय लिया की जोधपुर नेटवर्क ऑफ पिपुल लिविंग एचआईवी संस्थान को भूमि आवंटन रिर्जव प्राइज/रियायती दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया, जबकि नवीन आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 5.3 में विभाग के स्तर पर आरक्षित दर/डीएलसी दर की 25 प्रतिशत तक दर पर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है, उपरोक्त खसरे का भू–उपरोग परिवर्तन राज्य स्तर पर दिनांक 23.07.2007 को परिधि नियंत्रण पट्‌टी से आवासीय संस्थागत, व्यावसायिक एवं अन्य योजनाये है, अतः आवसीय योजना के अनुंशगिक उपयोग ही आवासीय योजना में स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण राज्य सरकार को नवीन आवंटन नीति के तहत् एवं पूर्व में कार्यकारी समिति बैठक के निर्णय उपरान्त आवेदित भूमि 50 प्रतिशत आरक्षित दर पर आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण भिजवाया गया है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में नवीन आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 5.3 विभागीय स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु एवं प्रकरण की अभिशंषा हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस कार्यालय द्वारा एच.आई.वी. पीड़ित बच्चों को ग्राम चौखा के खसरा संख्या 76 वस्त्र मंत्रालय के पीछे 1392.05 वर्ग गज भूमि नवीन आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 5.3 के अनुसार नगरीय विकास विभाग के स्तर से आरक्षित दर/डी.एल.सी. दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रेषित अनुशंषा पत्र कमांक एफ.46/आवंटन–पश्चिम/2017/2299 दिनांक 18 अगस्त, 2017 की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: भूखण्ड संख्या 66 सेक्टर–'04' रामराज नगर योजना की राशि जमा कराने बाबत्।

प्राधिकरण द्वारा लॉटरी दिनांक 02.09.2008 के द्वारा भूखण्ड संख्या 66 सेक्टर–'04' रामराज नगर योजना श्री खेमाराम पुत्र श्री भूराराम न्यास/प्राधिकरण, कर्मचारी को आवंटन किया गया था। भूखण्ड का आवंटन पत्र श्री खेमाराम पुत्र श्री भूराराम को क्रमांक 296 दिनांक 12.09.2008 के द्वारा जारी किया गया । आवंटी श्री खेमाराम पुत्र श्री भूराराम द्वारा आवंटन पत्र प्राप्ति के निर्धारित समयावधि 30 दिवस में राशि जमा कराना अनिवार्य था । इसके पश्चात् 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवानी थी, लेकिन प्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई । 90 दिवस पश्चात् प्रार्थी का भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है । प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर भूखण्ड की बकाया राशि मय ब्याज व शास्ती के जमा करने की मांग की है । भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 (17)(5) के अनुसार 09 वर्ष का हो जाने कारण कार्यकारी समिति के निर्णय के पश्चात् राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व 10 प्रतिशत शास्ती सहित राशि जमा की जानी है ।, अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

12.9.17

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया कि भूखण्ड आवंटन दिनांक 2 सितम्बर, 2008 को किया गया था एवं आवंटन के 9 वर्ष पश्चात् कार्यकारी समिति के समक्ष प्रार्थी के आवेदन के परिपेक्ष्य में प्रकरण नियमितिकरण करना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में नियमितिकरण का अधिकार राज्य सरकार को है किन्तु प्रकरण में अत्यधिक विलम्ब को देखते हुए सर्व सम्मति से उक्त भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: एडवोकेट कॉलोनी–द्वितीय (रामराज नगर योजना) में शेष रहे अधिवक्ताओं को भूखण्ड आवंटन लॉटरी के माध्यम से देने बाबत।

रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में वर्ष 2008 में 1495 भूखण्डो की योजना तैयार की गई थी, उक्त योजना में रामराज नगर में अधिवक्ता हेतु विभिन्न साईज के 539 भूखण्ड आरक्षित किये गये थे, जिसे दिनांक 14.07.2008 को लोटरी द्वारा 497 भूखण्ड लोटरी द्वारा आवंटन किये गये थे। अधिवक्ता द्वारा 1258 आवेदन किये गये है, जिसमें शेष 761 आवेदन का रिफण्ड कर दिया गया है।

उक्त योजना में तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर के कार्मिक एवं अधिकारीयों को लोटरी द्वारा 156 भूखण्ड आवंटन किये एवं दन्तोपन्थ ढेगडी नगर के 237 भूखण्ड रामराज नगर में आवंटन किये गये है, एवं न्यायालय के निर्णय एवं प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार 91 भूखण्ड रामराज नगर में आवंटन किये गये है, तथा उपरोक्त योजना में 222 भूखण्ड कार्नर के दर्शाये है, जिसमें से 17 भूखण्ड लोटरी में शामिल कर आवंटन किया गया है। अतः उपरोक्त योजना में विभिन्न साईज के भूखण्ड 515 शेष रहते है।
राज्य सरकार को आदेश क्रमांक :– प1(18)नविवि/जोधपुर/2016 दिनांक 09.08.2017 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः प्राधिकरण के प्रस्ताव अनुसार उपरोक्त योजना में कॉर्नर भूखण्ड 177 एवं सामन्य भूखण्ड 252 कुल 429 भूखण्डो का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया गया था।

रामराज नगर योजना का मौका मुआयना उपायुक्त पश्चिम, अधिशाषी अभियन्ता पश्चिम सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं पटवारी पश्चिम द्वारा दिनांक 01.09.2017 को किया गया था, जिसके अनुसार सेक्टर 04 में भूखण्ड संख्या 09 पर अतिक्रमण है, तथा सेक्टर 02 एवं 03 में भूखण्ड गैहरे खडे में है और सेक्टर 01 में अधिकांश भूखण्ड पर अतिक्रमण किया हुआ है।

सेक्टर नम्बरः– 01				
क्र.सं.	प्लोट की साईज	कॉर्नर	सामान्य	योग
1	30X64	06	28	34
2	34X89	02	13	15
3	39X69	03	18	21
4	अन्य	25	—	25
5	**कुल**	**36**	**59**	**95**
सेक्टर नम्बरः– 02				
क्र.सं.	प्लोट की साईज	कॉर्नर	सामान्य	योग

12-9-17

1	25X49	—	04	04
2	30x64	21	39	60
3	34x69	04	02	06
4	अन्य	13	—	13
5	**कुल**	**38**	**45**	**83**

सेक्टर नम्बरः— 03

क्र.सं.	प्लोट की साईज	कॉर्नर	सामान्य	योग
1	25X49	02	06	06
2	30x64	07	08	15
3	34x69	01	—	01
4	20x45	11	37	48
5	अन्य	13	03	16
6	**कुल**	**34**	**54**	**88**

सेक्टर नम्बरः— 04

क्र.सं.	प्लोट की साईज	कॉर्नर	सामान्य	योग
1	25X49	08	02	10
2	30x64	01	—	01
3	39x89	—	08	08
4	20x45	02	06	08
5	अन्य	27	—	27
6	**कुल**	**38**	**16**	**54**

सेक्टर नम्बरः— 05

क्र.सं.	प्लोट की साईज	कॉर्नर	सामान्य	योग
1	25X49	—	01	01
2	20x49	—	10	10
3	15x30	12	96	108
5	अन्य	06	01	07
6	**कुल**	**18**	**108**	**126**

अतः राज्य सरकार के आदेशानुसार एवं प्राधिकरण के प्रस्तावनानुसार 429 भूखण्डों की लॉटरी की जानी प्रस्तावित है। जिसमें कॉर्नर भूखण्डों को भी लॉटरी में सम्मलित किया जाना प्रस्तावित है। एवं कॉर्नर भूखण्डों को आवंटन करने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी वसूल किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में रामराज नगर योजना की आरक्षित दर 10 प्रतिशत वृद्धि करने पर 5940/— प्रतिवर्गमीटर है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार .विमर्श सर्व सम्मति से राज्य सरकार के आदेश कमांक प1(18)नविवि/जोधपुर/2016 दिनांक 9 अगस्त, 2017 के अनुसार कुल 429 भूखण्डों का आवंटन वर्तमान आरक्षित दर रूपये 5,940/— प्रति वर्ग मीटर पर करने का निर्णय लिया गया। जिसमें से कॉर्नर भूखण्ड के भूखण्डों के लिए राज्य सरकार के आदेशानुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि लेने का भी अनुमोदन किया एवं नियमानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण

12-9-17

अधिनियम की धारा–16 के अन्तर्गत आगामी प्राधिकरण की बैठक में भी उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: रामकृष्ण सेवा आश्रम संस्थान को ध्यान केन्द्र एवं समाज उपयोगी गतिविधियो हेतु भूमि आवंटन।

श्री ओ.पी.एन. कल्ला, अध्यक्ष, रामकृष्ण सेवाश्रम द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं नवीन आंवटन नीति के तहत् परिशिष्ट–1 एवं प्रपत्र 'अ' भरकर प्रस्तुत किया है तथा नवीन आंवटन नीति के तहत् आवेदन–शुल्क राशि रू 5000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट दिनांक 3 मई, 2017 को प्रस्तुत किया जो शाखा रोकड़पाल के पास जमा करवा दिया है। आवेदन द्वारा सशुल्क 10 एकड़ भूमि की मांग की है। पूर्व में प्रकरण दिनांक 30 जनवरी, 2013 की कार्यकारी समिति की बैठक में परिये प्रस्ताव संख्या 32 द्वारा निर्णय लिया गया किइस संबन्ध मं लोरडी पण्डितजी योजना में संस्थानिक भूमि आवंटन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाये। किन्तु उकत लोरडी पण्डित जी में 5 एकड़ भूमि ही उपलब्ध होने से संस्था द्वारा स्वीकृति/सहमति प्रदान नहीं करने के कारण प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किया जा सका।

आवेदक संस्था द्वारा दिनांक 21 मई, 2015 को मांग की कि ग्राम पालडी खिचियान के खसरा संख्या 93/10 में 10 एकड़ भूमि आवंटन की मांग की। जिसके प्रतिउत्तर में सचिव, प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2015 को जरिये पत्र आवेदक संस्था को सूचित किया गया कि उक्त स्थान पर मण्डलनाथ आवासीय योजना प्रस्तावित है इसलिए भूमि आवंटन किया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 को आवेदक संस्था ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गैवा के खसरा संख्या 67,68 में एकड़ भूमि आंवटन की मांग की है। जिसके क्रम में प्रकरण प्राधिकरण की काय्रकारी समिति की बैठक दिनांक 27 जून, 2016 प्रस्ताव संख्या 13 द्वारा प्रस्तुत हुआ। बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित है। जिसके संबन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में गुलाब कोठारी बनाम स्टेट व अन्य जनहित याचिका विचाराधीन है। अतः ऐस परिस्थिति में आवंटन संबन्धी निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा। अतः बैठक में माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम स्टेट व अन्य में निर्णय पारित होने के पश्चात् प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका में आदेश प्रदान किये जा चुके है तथा सार्वजनिक हित के मामलों में राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उपरोक्त प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 16.06.2017 के प्रस्ताव संख्या 8 में निर्णय लिया की आवेदित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित होने से भू–उपयोग परिवर्तन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिबन्धित है, अतः प्रार्थी के आवेदन को निरस्त किया गया है। प्रार्थी को उपरोक्त निर्णय के सम्बन्ध में पत्र द्वारा सूचित भी किया गया है। प्रार्थी प्रो. ओ.पी.एन कल्ला द्वारा दिनांक 24.07.2017 को प्रार्थना पत्र के संलग्न राज्य सरकार के पत्रांक एफ10(35)यूडीएच/3/2010 पार्ट दिनांक 20.07.2017 के अनुसार भूमि आवंटन का अनुरोध किया है, अतः भूमि आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निणयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं यह जानकारी में आया कि पूर्व में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16 जून, 2017 में प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आवेदक संस्था रामकृष्ण सेवाश्रम संस्था द्वारा आवेदित भूमि खसरा संख्या 67, 68

12.9.17

में कुल रकबा 10 एकड भूमि का भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी होने से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है। अतः प्रार्थना–पत्र को निरस्त किया गया था। इस संबंध में आवेदक संस्था की ओर से श्री ओ.पी.एन. कल्ला द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2017 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2017 का हवाला दिया गया है जिसमें निवेदन किया गया कि व्यापक जनहित में उक्त संस्था के कार्य सम्मिलित होते हैं लिहाजा गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के कम में भू–उपयोग परिवर्तन इस संबंध के किया जा सकता है। संस्था की ओर से निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है एवं अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने भी दिनांक 19 मई, 2015 को प्रकरण को परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग को भिजवाया है। आवेदक संस्था द्वारा निम्नलिखित जनहित के कार्य उक्त भूमि आवंटन होने पर कराये जाने का उल्लेख किया है:–

I. To start educational institutions like multidisciplinary and interdisciplinary Educational Institutes and hostels for needy students.

II. To establish Medical Facilities by constructing hospitals where all the facilities including (i) Allopathy (ii) Homeopathy (iii) Ayurvedic (iv) Unani treatment will be provided at very low cost and sometimes free depending on the financial condition of the patient.

III. At hospitals we will have following test facilities (i) Pathology Laboratory (ii) Radiology facility (iii) X-ray facility (iv) Physiotherapy laboratory (v) MRI facility (vi) CTSscan facility (vii) Blood bank (viii) free medicine to needy patients through medicine counter (xi) Low cost Eye and other Surgery and Orthopedic servies.

IV. We will have meditation hall and will conduct yoga classes for the citizens

V. We will also run computer coaching classes for needy students and others.

इस संबंध में नियमों एवं नवीन आवंटन नीति का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं एवं सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन के लिए क्षैत्रफल का मापदण्ड निर्धारित किया गया है क्योंकि रामकृष्ण सेवाश्रम संस्था द्वारा आश्रम और शैक्षणिक गतिविधियां स्वास्थ्य एवं चिकित्सा गतिविधियां एवं योगा आदि गतिविधियां करने का उपरोक्त अनुसार उल्लेख किया गया है एवं इनके द्वारा जो क्षैत्रफल की मांग की गयी है वह 10 एकड भूमि है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिा गया कि आवेदक संस्था को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, वित्तीय लागत निर्माण, वित्तीय संसाधन के संबंध में नवीन रिपोर्ट प्राप्त की जावे। संस्था द्वारा आवेदित भूमि का नवीन आवंटन नीति के बिन्दु संख्या 1.1 के अनुसार चिन्हित कर विभागीय वेब–साईट पर लोकेशन, क्षैत्रफल, भूमि की दर आदि उपलब्ध करवायी जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जावे एवं तद्नुसार अनुकूल पाये जाने पर प्रकरण को आरक्षित दर पर आवंटन एवं आवंटित किये जाने वाले क्षैत्रफल के निर्धारण हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर–'बी' राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले भूखण्ड आवंटन करने बाबत् ।

प्रार्थी श्री गिरीश कुमार परिहार पुत्र श्री जवाहर लाल परिहार को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 के जरिये ग्राम चौखा में राजीव गांधी नगर योजना सेक्टर–बी में भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर–'बी' बनाप 12×21 मीटर =252 वर्गमीटर का आवंटन किया गया। प्रार्थी ने आवंटित भूखण्ड के पेटे रसीद संख्या 9001/7533 दिनांक 30.04.2010 राशि जमा करवा कर लीजडीड दिनांक 09.05.2010 को प्राप्त कर ली गई है। प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 19/09/2016 को पेश कर निवेदन किया है कि उक्त आवंटित भूखण्ड पर करीब 20' फीट

का गहरा खड्डा होने के कारण भवन निर्माण नहीं किया जा सकता है तथा इसी योजना में समकक्ष स्तर का समतल भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है ताकि भवन निर्माण करवा कर रहवास कर सकें।

कनिष्ठ अभियन्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसमें कनिष्ट अभियन्ता की मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड पर मार्गाधिकार से लगभग 10–12' फीट नीचे होना बताया है एवं उबड–खाबड भूमि बताई है । प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड के बदले इसी योजना में समकक्ष क्षेत्रफल का समतल भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया । प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04 मई 2017 के प्रस्ताव संख्या 06 में लिये गयें निर्णय अनुसार प्रार्थी श्री गिरीश परिहार को भूखण्ड संख्या 259 सेक्टर– 'बी' राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले समान आकार का भूखण्ड 12 मीटर समान नाप की सडक चौडाई पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया । जिसके तहत कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में भूखण्ड संख्या 40 सेक्टर–'बी' रिक्त बताया है, तथा 12 मीटर सड़क पर स्थित है । भूखण्ड का नाप 12.5×22 मीटर= 275 वर्गमीटर का है । इस प्रकार भूखण्ड का क्षैत्रफल बढ रहा है । आवंटी द्वारा भूखण्ड संख्या 40 सेक्टर–'बी' के आवंटन हेतु अपनी लिखित सहमति पेश की है । श्री गिरीश कुमार परिहार भूखण्ड के बढे हुए क्षैत्रफल की राशि जमा कराने के लिये तैयार है । प्रकरण समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। प्रार्थी श्री गिरिश परिहार का राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में भूखण्ड संख्या 259–बी क्षैत्रफल 252 वर्ग मीटर का आवंटन किया गया था जिसकी संपूर्ण राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवा दी गयी है एवं लीज डीड भी प्राप्त कर ली गयी है किन्तु प्रार्थी के भूखण्ड पर करीब 20 फीट का खढ्ढा होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सकता है। जिसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड पर 10 से 12 फीट का खड्डा व उबडखाबड भूमि होना प्रमाणित होता है। अतः प्रकरण में समान चौडाई की सडक पर राजीव गांधी नगर योजना में ही भूखण्ड संख्या डी–40 पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–259 के स्थान पर आवंटन किये जाने का बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया। नवीन आवंटन होने वाले भूखण्ड का क्षैत्रफल 275 वर्ग मीटर पूर्व में आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल से 23 वर्ग मीटर अधिक है। चूंकि प्रार्थी श्री गिरीश परिहार ने आयवर्ग 30,001 से 45,000/– रूपये प्रतिमाह है जो कि नियम 17 (4) के अनुसार 221 से 350 वर्ग मीटर के बीच के भूखण्ड आवंटन की पात्रता रखते है। अतः प्रार्थी का किये जाने वाले नवीन आवंटित भूखण्ड के मामले में भी पूर्वानुसार आरक्षित दर की 115 प्रतिशत दर से राशि जमा करानी है। अतः निर्णय लिया गया कि नवीन आवंटित भूखण्ड का क्षैत्रफल बढने से अतिरिक्त क्षैत्रफल 23.00 वर्ग मीटर के लिए वर्तमान आरक्षित दर के 115 प्रतिशत के हिसाब से गणना कर राशि जमा करवाकर भूखण्ड संख्या बी–40, राजीव गांधी नगर योजना आवंटित किया जावे एवं पूर्व में आवंटित भूखण्ड की मूल लीज डीड/पट्टा विलेख प्राधिकरण में समर्पित करवाया जावे एवं भूखण्ड संख्या 259 का आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 19 :: भूखण्ड संख्या 267 सेक्टर–ई राजीव गांधी नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

प्रार्थी श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री लाल मोहम्मद को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को भूखण्ड संख्या 267 सेक्टर–'ई' राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में आवंटन किया गया था । प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा कर लीजडीड दिनांक 08.06.2010 को प्राप्त कर पंजीयन करवा ली गई । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवंटित भूखण्ड

12.9.17

तक पहुचने का कोई मार्गाधिकार नहीं है । भूखण्ड पहाडी पर है, पहुंचने के लिए 10 फीट गहरे गड्डे से जाया जा सकता है । मुझे इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन किया जावे ।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट मंगाई गई । जिसमें भी उल्लेख किय गया है कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड पहाडी पर है तथा भूखण्ड पर पहुचने के लिए किसी प्रकार की सम्पर्क सडक उपलब्ध नहीं है । वर्तमान में इसी योजना में भूखण्ड संख्या ई–59, ई–69 रिक्त बतायें है । जो 24 मीटर रोड पर स्थित है । साथ ही 12 मीटर रोड पर बी–236 रिक्त बताया है जो आधा पहाडी पत्थर पर स्थित है, और आधे में 5 से 7 फीट गहरा गड्डा है । प्रार्थी को ई सेक्टर में भूखण्ड पुनः आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को पूर्व में जो भूखण्ड आवंटित हुआ है वह 12 मीटर चौडी सडक पर हुआ है लिहाजा उसी चौडाई की सडक पर रिक्त भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी से सहमति प्राप्त कर प्रकरण पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 :: भूखण्ड संख्या 24 सेक्टर–ए, कमला नेहरू नगर, द्वितीय विस्तार योजना के बदले अन्यत्र भूखण्ड आवंटन करने हेतु।

प्रार्थी श्री मकखनलाल राय पुत्र श्री मुकनलाल राज की भूमि कागा शितला माता मंदिर कागा रोड़ को आवाप्त करने के बदलें में भूखण्ड संख्या 24 सेक्टर–ए, कमला नेहरू नगर, द्वितीय विस्तार योजना में 266.67 वर्गगज का राज्य सरकार के पत्रांक एफ/3(123)नआ/74 दिनांक 05.10.1974 की पालना में भूखण्ड आवंटन नगर सुधार न्यास द्वारा आवंटित किया हुआ है, एवं तत्कालीन न्यास पत्रांक 865 दिनांक 22.10.1974 को देने हेतु पत्र जारी किया गया था, तथा प्रार्थी द्वारा उपरोक्त पत्र के अनुसार दिनांक 21.02.1975 को आवाप्त भूमि शितला माता कागा रोड़ का भौतिक कब्जा प्रार्थी द्वारा नगर सुधार न्यास के अधिकारी को सुपुर्द कर दिया था।

उक्त भूखण्ड नगर सुधार न्यास की लॉटरी दिनांक 23.10.1983 एवं तत्तकालीन सचिव नगर सुधान न्यास के कार्यालय आदेश क्रमांक 2650 दिनांक 30.04.1986 द्वारा श्रीमती चन्द्रा माहेश्वरी को आवंटित किया हुआ था। जिसकी लाईसेन्स/लीजडीड न्यास द्वारा जारी हो चुकी है। अतः प्रार्थी श्री मखनलाल को आवंटित भूखण्ड संख्या 24–ए का भौतिक कब्जा नही दिया जा सका। जिसके कारण उक्त भूखण्ड के बदले में वर्तमान में प्राधिकरण से अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है।

प्रार्थी सेना में कर्नल के पद पर कार्यरत होने से उक्त भूखण्ड का लंबे समय से पैरवी नही कर सका, प्रार्थी रिटायरमेन्ट होने के पश्चात उक्त भूखण्ड की पैरवी की गई। अतः प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 24–ए क्षेत्रफल 266.67 वर्गगज है। जो कि 60 फुट सड़क पर स्थित था। प्रार्थी को उपरोक्त भूखण्ड का भौतिक कब्जा नहीं देने से तत्तकालीन नगर सुधान न्यास की आवंटन समिति दिनांक 09.06.1989 में प्रार्थी को भूखण्ड सं. 45 सेक्टर बी सरस्वती नगर योजना में आवंटन करने का निर्णय लिया गया, चूंकि भूखण्ड सं. बी 45 सरस्वती नगर किसी अन्य को आवंटन किया हुआ था, अतः प्रार्थी को नगर सुधार न्यास से अन्यत्र भूखण्ड आवंटन नहीं किया जा सकता।

प्रार्थी की मूल पत्रावली वर्ष 2014 में नगर निगम जोधपुर को हस्तांतरित की गई थी, जिसकी पुनः प्रार्थना पत्र जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 21.07.2015 को नगर निगम के

12-5-17

सूचना अधिकार के तहत् पत्रावली प्रस्तुत की गई है, नगर निगम जोधपुर से उपरोक्त भूखण्ड की मूल पत्रावली जोधपुर विकास प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुई है, प्रार्थी द्वारा नगर निगम जोधपुर को उपरोक्त भूखण्ड के बदले में अन्य भूखण्ड सं. 05 सुभाष नगर हेतु कार्यवाही की गई थी, अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 8568 दिनांक 03.06.2013 के अनुसार भूखण्ड सं. 05 सुभाष नगर की नगर निगम से तथ्यात्मक रिपोर्ट विभाग द्वारा मांगी गई थी, नगर निगम जोधपुर के पत्रांक 673 दिनांक 08.01.2014 को रिपोर्ट अतिरिक्त निदेशक डीएलबी विभाग को भिजवाया गया की कमला नेहरू नगर के भूखण्ड सं. 24 सेक्टर ए का भूखण्ड का आकार 40x60 है एवं सुभाष नगर भुखण्ड सं. 05 का आकार 40x75 है, नगर निगम जोधपुर की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया की आवंटन सम्बन्धित प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण का निर्णय लिया गया, इसी क्रम में उक्त पत्रावली जोधपुर विकास प्राधिकरण को भिजवाई गई है, चुंकि प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 24–ए की वर्तमान आरक्षित दर 1660/– प्रतिवर्गफीट है एवं वर्तमान में आवंटित किये जा रहे भूखण्ड सख्या 121 विजयराजे नगर की आरक्षित दर 9460/– प्रतिवर्गमीटर रूपये है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में आवंटित भूखण्ड के बदले प्राधिकरण की विजयराजे नगर में आवंटित करने की सहमति प्रदान की है। कमला नेहरू नगर योजना की सभी पत्रावलिया नगर निगम जोधपुर को हस्तान्तरित है तथा कमला नेहरू नगर येाजना का क्षेत्राधिकार वर्तमान में नगर निगम जोधपुर का है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरित की जा चुकी है लिहाजा प्रकरण के सबंध में निर्णय हेतु नगर निगम, जोधपुर को निवेदन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 21 :: जी. एस. एस. 33/11 के.वी. ख.स. 34 ग्राम माणकलाव रकबा 14.04 मे से 2 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

जी. एस. एस. 33/11 के.वी. ख.स. 34 ग्राम माणकलाव रकबा 14.04 मे से 2 बीघा भूमि आवंटन 33 केवी सब स्टेशन हेतु भूमि आवंटन करने का निवेदन किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्रम माणकलाव के ख. स. 34 रकबा 14.04 बीघा किस्म बा. तृतीय का पत्रावली के संलग्न नक्सा अनुसार मौका देखा गया। भूमि वर्तमान में मौके पर खाली पड़ी हैं इसमें 33 केवी जी एस एस हेतु भूमि आवंटन करवानी चाही गई हैं उक्त खसरा नम्बर पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी नकल अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम माणकलाव ख.स. 34 जी. एस. एस. 33/11 के.वी. रकबा 14.04 मे से 2 बीघा भूमि आवंटन 33 केवी सब स्टेशन आवंटन हेतु भूमि चाही गई हैं। जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आंवटित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी प्रयोजनार्थ आरक्षित है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य के कम में दिनांक 12.02.2017 के पारित निग्रय में व्यापक जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का उल्लेख है के कम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.7.2017 को परिपत्र जारी किया गया हैं । उक्त परिपत्र अनुसार इन्फ्राट्रैक्चर प्रोजेक्ट को सम्मलित किया गया है। अतः व्यापक जनहित के बाद प्रकरण में प्रारूप में भू–उपयोग परिर्वतन किया जा सकता है। जी. एस. एस. 33/11 के.वी. ख.स. 34 ग्राम माणकलाव रकबा 14.04 मे से 2 बीघा भूमि आवंटन किये जाने वास्ते प्राधिकरण की कार्याकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णय हेतु प्रेषित है।

12.9.17

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया एवं यह पाया गया कि विद्युत विभाग द्वारा आवेदन पत्र के परिशिष्ट–स में ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 34 किस्म भूमि बारानी–III में जी.एस. एस. के लिए भूमि का आवंटन चाहा गया था। उक्त आवेदन संभागीय मुख्य अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 745 दिनांक 29 मई, 2017 द्वारा किया गया। दिनांक 5 अगस्त, 2017 को सरपंच, ग्राम पंचायत, माणकलाव द्वारा खसरा संख्या 34 में जी.एस.एस. नहीं बनाने बाबत निवेदन किया है। इसके पश्चात् दिनांक 20 अगस्त, 2017 को एक अन्य प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उक्त खसरा संख्या 34 के निकट मेघवालों के घर हैं जहां बिजलीघर बनेगा तो गरीब परिवारों को बहुत परेशानी होगी एवं सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा एक अलग आवेदन कर खसरा संख्या 308 में 1000 वर्ग गज भूमि 33 के.वी. जी. एस.एस. के लिए मांगी गयी है। जिसका उपायुक्त–उत्तर, प्राधिकरण द्वारा उनके पत्र क्रमांक 541 दिनांक 22 अगस्त, 2017 से सरपंच, ग्राम पंचायत, माणकलाव को सूचित किया कि विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रपत्र–स भरकर प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जावे। बैठक में यह बात जानकारी में आयी कि विभागाध्यक्ष व मुख्य अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम द्वारा खसरा संख्या 34 में ही भ्भूमि का आवंटन चाहा गया है एवं ग्राम पंचायत के द्वारा जी.एस.एस. के लिए आवेदन करने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। लिहाजा विद्युत विभाग द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण व्यापक जनहित में होने से भू–उपयोग परिवर्तन एवं आवंटन हेतु जी.एस.एस. 33/11 के.वी. खसरा संख्या 34 कुल रकबा 14–04 बीघा भूमि में से 1000 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर की आधी दर पर आवंटन हेतु प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 22 :: पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना के संबंध में।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना ग्राम आंगणवा के ख.स. 60/1 एवं 243/63 में अनुरोध है कि दिनांक 11.7.2017 को शुभांरभ अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा प्राधिकरण के प्रांगण में किया जा रहा है। आवासीय योजना में कुल 247 भूखण्ड है जो विभिन्न आय–वर्ग से संबंधित है। योजना के लिए 1000 आवेदन पत्र (बुकलेट) I.C.I.C.I बैंक के सौजन्य से छपवाये जा रहे है जिसके लिये बैंक प्रतिनिधि ने अपनी सहमति दे दी है। आवेदन पत्र बैंक समस्त शाखाओं में उपलब्ध रहेंगें। आवेदन ऑन लाईन एवं ऑफ लाईन दोनो प्रकार के माध्यम से आवेदन कर सकेगें। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 31.7. 2017 है। आवेदन पत्र लॉटरी के मार्फत खोलने की तारीख दिनांक 16.8.2017 है। भू–खण्ड आवंटन के लिये आरक्षित दर निर्धारित की जा चुकी है। ले–आउट प्लान स्वीकृति किया जा चुका है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही की जा चुकी है। प्राधिकरण की समिति की बैठक मे प्रकरण वास्ते अनुमोनार्थ निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 60/1 एवं 243/63 में कुल क्षैत्रफल 40,858.22 वर्ग मीटर भूमि पर नई आवासीय योजना पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना लांच की गयी है। जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति को प्रदत्त शक्तियां जो कि जोधपुर विकास प्राधिकरण की धारा (7) (2) (iv) Preparation of projects and schemes; के तहत आरक्षित दर 5,400/– रूपये प्रति वर्ग मीटर अनुमोदन किया जाता है एवं उक्त अनुमोदन पश्चात्वर्ती section (16) (b) formation and sanction of the projects and schemes for the development of the Jodhpur Region or any part thereof. के तहत प्राधिकरण की शक्तियों के अनुरूप अनुमोदन करवाने की प्रत्याक्षा में अनुमोदित किया जाता है।

12.9.17

प्रस्ताव संख्या 23 :: भूखण्ड संख्या 52 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में। श्री गोमाराम पुत्र श्री घेवर राम

भूखण्ड स. 52 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 20.10.2015 को क्षेत्रफल 15 बाई 30 = 41.81 वर्गमीटर का श्री गोमाराम पुत्र श्री घेवर राम को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 302 दिनांक 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है। जो एक वर्ष 155 दिवस देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः—

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन/ बहाल में निम्न राशि करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड आवंटन दिनांक 13 जनवरी, 2016 को हुआ है एवं भूखण्डधारी का प्रार्थना—पत्र प्रार्थी श्री गोपा राम पुत्र श्री घेवरराम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर है लिहाजा प्रकरण में नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल कर भूखण्ड बहाल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: भूखण्ड संख्या 107 सेक्टर सी मण्डलनाथ आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में । श्रीमति हर्षा राचवानी पत्नि श्री देव किशन

भूखण्ड स. 107 सेक्टर सी मण्डलनाथ आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 12.9.2015 को क्षेत्रफल 20 बाई 40 = 74.32 वर्गमीटर का श्रीमति हर्षा राचवानी पत्नि श्री देव किशन को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 202 दिनांक 04.11.2015 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 04.11.2015 को जारी किया जा चुका है। जो एक वर्ष 250 दिवस देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः—

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन/बहाल में निम्न राशि करने का प्रावधान है।

12.9.17

6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

भूखण्ड की बकाय I राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड आवंटन दिनांक 4 नवम्बर, 2015 को हुआ है एवं भूखण्डधारी का प्रार्थना–पत्र प्रार्थी श्रीमती हर्षा राचवानी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर है लिहाजा प्रकरण में नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल कर भूखण्ड बहाल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: भूखण्ड संख्या 21 सेक्टर ए विज्ञान नगर आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में । श्री पांचाराम पुत्र श्री चौथाराम

भूखण्ड स. 21 सेक्टर ए विज्ञान नगर आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 20.10.2015 को क्षेत्रफल 20 बाई 45 = 83.61 वर्गमीटर का श्री पांचाराम पुत्र श्री चौथाराम को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 142 दिनांक 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है एवं राशि दिनांक 17.4.2016 को जमा कराई जा चुकी हैं। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड का ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है एवं राशि दिनांक 17.4.2016 को जमा कराई जा चुकी हैं। जो 94 दिवस देरी से जमा है। सक्षम स्तर से स्वीकृति नही है। जिसके अनुसार एक वर्ष 2 माह की अवधि हो चुकी हैं। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन / बहाल हेतुः–:

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन / बहाल में निम्न राशि करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड आवंटन दिनांक 13 जनवरी, 2016 को हुआ है एवं भूखण्डधारी का प्रार्थना–पत्र प्रार्थी श्री पांचाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर है लिहाजा प्रकरण में नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल कर भूखण्ड बहाल करने का निर्णय लिया गया।

12-5-17

प्रस्ताव संख्या 26 :: भूखण्ड संख्या 107 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में । श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री अबीर चन्द

भूखण्ड स. 107 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 20.10.2015 को क्षेत्रफल 25 बाई 50 = 116.13 वर्गमीटर का श्री आनन्द कुमार पुत्र श्री अबीर चन्द को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 214 दिनांक 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है। जो एक वर्ष 169 दिवस देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः—:

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन/ बहाल में निम्न राशि करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड आवंटन दिनांक 13 जनवरी, 2016 को हुआ है एवं भूखण्डधारी का प्रार्थना—पत्र प्रार्थी श्री आनन्द कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर है लिहाजा प्रकरण में नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल कर भूखण्ड बहाल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: भूखण्ड संख्या 11 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में । श्री युवराज आचार्य पुत्र श्री जितेन्द्र आचार्य

भूखण्ड स. 11 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 20.10.2015 को क्षेत्रफल 25 बाई 50 = 116.13 वर्गमीटर का श्री युवराज आचार्य पुत्र श्री जितेन्द्र आचार्य को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 223 दिनांक 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है। जो एक वर्ष 6 माह देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः—:

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन/ बहाल में निम्न राशि करने का प्रावधान है।

12-5-17

6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्ड आवंटन दिनांक 13 जनवरी, 2016 को हुआ है एवं भूखण्डधारी का प्रार्थना–पत्र प्रार्थी श्री युवराज आचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। चूंकि स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर है लिहाजा प्रकरण में नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल कर भूखण्ड बहाल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: श्री घीसा राम को लॉटरी में खुले भूखण्ड संख्या 256 सेक्टर एल विवेक विहार योजना का आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में नही होने से आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में श्री घीसा राम को भूखण्ड संख्या 256 सेक्टर एल 139.34 वर्गमीटर राज्य कर्मचारी वर्ग में लॉटरी में खुला। आवेदन पत्र के साथ अनुभागाधिकारी कार्मिक (गैर) विभाग शासन सचिवालय जयपुर द्वारा प्रार्थी को जारी फॉर्म नं. 16 की प्रति संलग्न की गई है। पंजीका में उपलब्ध चैक लिस्ट अनुसार प्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ राज्य कर्मचारी हेतु निर्धारित प्रारूप में परिवार की सकल आय का प्रमाण पत्र संलग्न नही किये। प्रार्थी को निर्धारित प्रारूप में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक 1540 दिनांक 26.04.2012 एवं कमांक 327 दिनांक 20.07.2012 द्वारा निर्धारित प्रारूप का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रार्थी द्वारा निर्धारित प्रारूप मे परिवार का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये जाने के कारण आवंटन पत्र नही जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड के आवंटन पत्र की मांग की जा रही हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को अन्तिम बार नोटिस जारी कर तत्कालीन आवेदन के समय का परिवार का आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए 15 दिवस का समय दिया जावे एवं नियमानुसार आय प्रमाण–पत्र प्राप्त होने एवं पाये जाने पर वर्तमान आरक्षित दर को आधार रखकर तद्नुसार आवंटन की कार्यवाही अमल में लायी जावे। पत्र प्रेषित करने के 15 दिवस में आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 29 :: श्रीमति कविता चौहान पत्नि श्री किशोर सिंह चौहान को आवंटित भूखण्ड संख्या 170 सेक्टर डी विवेक विहार योजना की राशी 90 दिवस बाद जमा होने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल करने के संबंध मे।

भूखण्ड संख्या 170 सेक्टर डी नाप 195.09 विवेक विहार योजना में श्रीमति कविता चौहान पत्नि श्री किशोर सिंह चौहान को लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ। इस कार्यलय द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक 177 दिनांक 03.04.2012 को जारी किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार 90 दिवस में राशि जमा नही कराने के कारण भूखण्ड स्वतः

12-9.17

निरस्त हो चुका है। आवंटी ने आवंटन पत्र जारी होने के 119 दिन के बाद दिनांक 31.07.2012 को राशी जाम करायी है। आवंटी को प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का कब्जा भी दिया जा चुका है। प्रार्थीया द्वारा लीज डीड की मांग की जा रही है। भूमि निस्पादन नियमों के तहत स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल/निरस्त करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में चूंकि आवंटन दिनांक 3 अप्रैल, 2012 को हुआ है एवं आवंटी ने आवंटन पत्र जारी होने के 119 दिवस बाद राशि जमा करायी थी। परन्तु आवंटन आदेश को 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अतः भूखण्ड को बहाल/निरस्त करने के संबंध में प्रकरण मार्गदर्शन हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 30 :: श्रीमति निधि गहलोत को आवंटित भूखण्ड संख्या 128 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के बडे हुए क्षेत्रफल के आवंटन/नियमन के संबंध में।

कॉर्नर भूखण्ड संख्या 128 सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना क्षेत्रफल 246.60 वर्गमीटर प्राधिकरण द्वारा निलामी हेतु रखा गया। श्रीमति निधि गहलोत को अधिकतम भूमि होने के कारण 242.60 वर्गमीटर का भूखण्ड का आवंटन पत्र निलामी दर पर जारी किया गया। वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड मौके पर 250.96 वर्गमीटर का पाया गया इस प्रकार भूखण्ड का क्षेत्रफल 8.36 वर्गमीटर बढ गया है। आवंटी श्रीमति निधि गहलोत ने बड़े हुए क्षेत्रफल की राशि निलामी दर से जमा कराने की मांग की है। बड़े हुए क्षेत्रफल के आवंटन एवं दर निर्धारण के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश कमांक प.3 (30) नविवि/3/2016–पार्ट 1516–30 जयपुर दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार तत्समय की नीलामी दर से राशि जमा कराने पर पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 31 :: श्री बंजरगलाल पुत्र श्री जयराम को लॉटरी में खुले भूखण्ड संख्या 255 सेक्टर सी के आवंटन पत्र जारी करने के संबंध मे।

भूखण्ड संख्या सी 255 नाप 41.08 वर्गमीटर विवेक विहार योजना मे लॉटरी द्वारा श्री बजरंग लाल पुत्र श्री जयराम को आवंटित हुआ। भूखण्ड संख्या एन 581 नाप 74.31 श्री राम प्रकाश चौधरी पुत्र श्री जयराम चौधरी को आवंटित हुआ। श्री बंजरग लाल एवं रामप्रकाश भाई है। भूखण्ड संख्या एन 581 का पटटा रामप्रकाश के पक्ष में जारी हो चुका हैं। दोनों का पता आवेदन पत्र में समान है दोनो के राशनकार्ड अलग–अलग बने हुए है। आवेदन पत्र में दोनों ने अलग–अलग आय अंकित की है। श्री बंजरग लाल द्वारा भूखण्ड आवंटन की मांग की जा रही है। एक ही परिवार के दो सदस्य (भाई) को अलग–अलग भूखण्ड आवंटन होने के कारण प्रकरण भूखण्ड आवंटन/निरस्तगी के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

12-9-17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री बजरंग लाल द्वारा भूखण्ड आवंटन की मांग की गयी है। अतः भूखण्ड संख्या सी–255 क्षैत्रफल 41.08 वर्ग मीटर विवेक विहार योजना का श्री बजरंग लाल के पक्ष में नियमानुसार भूखण्ड आवंटन की कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 32 :: श्री आदुराम पुत्र श्री राम नारायण को आवंटित भूखण्ड संख्या 188 सेक्टर जी के अधिक क्षेत्रफल के आवंटन/नियमन के संबंध में।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 188 सेक्टर जी नाप 418.02 वर्गमीटर कार्नर भूखण्ड लॉटेरी द्वारा श्री आदुराम पुत्र श्री राम नारायण को आवंटन हुआ। कॉर्नर भूखण्ड लॉटरी में आवंटित हो जाने के कारण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.04.2012 के निर्णय संख्या – की पालना में आवंटित भूखण्ड आरक्षित दर से 150 प्रतिशत राशि जमा कर भूखण्ड का आवंटन पत्र जारी किया गया। मौका रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 128.60 वर्गमीटर बढ गया है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार बढे हुए क्षेत्रफल के अतिरिक्त भूमि का पृथक भूखण्ड नही बन सकता है। भूखण्ड के बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन एवं दर निर्धारण के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में भूखण्ड का बढा हुआ क्षैत्रफल 153 वर्ग गज है लिहाजा प्रकरण में राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 33 :: श्री गोबरराम पुत्र रामलाल को आवंटित भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर ए पूर्वी पाल योजना के स्थान पर राजीव गांधी नगर में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर ए क्षेत्रफल 43.85 वर्गमीटर श्री गोबरराम पुत्र रामलाल को आवंटित हुआ। भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर ए खसरा नं. 740/996 ग्राम जोधपुर में स्थित है। उक्त खसरा संख्या 740/996 रकबा 14.15 बीघा में प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण के विरूद्ध वाद दायर किये गये। वाद संख्या एस.एल.पी 14156/2008 बनाम शौकत खां में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्णय प्राधिकरण के विपरित रहा है। उक्त खसरे में आवंटित भूखण्डों को भूखण्ड देने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। श्री गोबरराम द्वारा उक्त भूखण्ड का कब्जा देने हेतु प्रकरण लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज करवाया गया है। श्री गोबरराम को इस कार्यालय के पत्र कमांक 573 दिनांक 14.07.2017 द्वारा राजीव गांधी नगर में भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा गया। श्री गोबरराम ने राजीव गांधी नगर में भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति प्रदान की है। अतः प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर ए पूर्वी पाल के स्थान पर राजीव गांधी नगर में भूखण्ड आवंटन के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

12-9-17

निर्णय

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री गोबर राम पुत्र श्री रामलाल को पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर–ए, पूर्वी पाल रोड योजना क्षैत्रफल 43.85 वर्ग मीटर के आवंटन को निरस्त कर समान क्षैत्रफल का भूखण्ड राजीव गांधी नगर योजना में आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 34 :: श्री नरेश कुमार द्वारा भूखण्ड संख्या 901 सेक्टर एन नाप 41.08 वर्ग मीटर विवेक विहार योजना की राशि जमा करने की मांग।

विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 901 सेक्टर एन लॉटरी दिनांक 09.9.2011 को श्री नरेश कुमार को आवंटित हुआ था। कार्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2012 को आवंटन पत्र जारी किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन पत्र जारी होने के 999 दिन बाद राशि मय ब्याज शास्ति जमा कराई है। आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने के कारण उक्त भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना द्वारा प्राप्त पत्र के पत्र क्रमांक प. 2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट 1516–30 दिनांक 25.04.2017 को आदेश प्राप्त हुआ है। जिसमें EWS व LIG भूखण्डों को नियमन करने की शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा निकाय स्तर पर दी जाने के निर्णय प्राप्त हुऐ। अतः प्रकरण कार्याकारी समिति में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के कम में प्राप्त पत्र कमांक प.2 (30) नविवि/3/2016 पार्ट 15–16/30 दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के बिन्दु संख्या 21 के कम में 60 वर्ग मीटर से कम क्षैत्रफल के भूखण्ड का आवंटन बहाल करने की शक्तियां निकाय स्तर पर दी गयी हैं एवं उक्त आदेश का प्रभाव यथा सुविधाये एवं रियायते दिनांक 10 जुलाई, 2017 के पश्चात् भी अग्रिम का आदेश तक यथावत् रहेगी। चूंकि प्रकरण में भूखण्ड संख्या 901 सेक्टर–एन क्षैत्रफल 41.08 वर्ग मीटर श्री नरेश कुमार को विवेक विहार योजना में दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को आवंटित हुआ है। लिहाजा राज्य सरकार के उपरोक्त आदेश के कम में नियमानुसार ब्याज एवं शास्ति वसूल कर भूखण्ड बहाल किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 35 :: श्री कालू राम शर्मा पुत्र पुखराज शर्मा द्वारा भूखण्ड संख्या 579 सेक्टर एन नाप 74.31 वर्ग मीटर विवेक विहार योजना की राशि जमा करने की मांग।

विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 579 सेक्टर एन लॉटरी दिनांक 09.9.2011 को श्री कालू राम शर्मा को आवंटित हुआ था। कार्यालय द्वारा दिनांक 10.04.2012 को आवंटन पत्र जारी किया गया, आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड की राशि जमा नही करवाई गई है। आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने के कारण उक्त भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के राशि जमा करना की मांग की है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना द्वारा प्राप्त पत्र के पत्र क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट 1516–30 दिनांक 25.04.2017 को आदेश प्राप्त हुआ है। जिसमें EWS व LIG भूखण्डों को नियमन करने की शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा निकाय स्तर पर दी जाने के निर्णय प्राप्त हुऐ। अतः प्रकरण कार्याकारी समिति में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

12.9.17

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया चूंकि उक्त भूखण्ड दिनाक 9 सितम्बर, 2011 को विवेक विहार योजना में श्री कालूराम को आवंटन हुआ था। उक्त भूखण्ड का क्षैत्रफल 74.31 वर्ग मीटर है। लिहाजा यह प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः उक्त आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 36 :: श्रीमति कल्पना मीणा द्वारा भूखण्ड संख्या 177 सेक्टर एल नाप 74.31 वर्ग मीटर विवेक विहार योजना की राशि जमा करने की मांग।

विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 177 सेक्टर एल लॉटरी दिनांक 09.9.2011 को श्रीमति कल्पना मीणा को आवंटित हुआ था। कार्यालय द्वारा दिनांक 05.04.2012 को आवंटन पत्र जारी किया गया, आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड की राशि जमा नही करवाई गई है। आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने के कारण उक्त भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के राशि जमा करना की मांग की है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना द्वारा प्राप्त पत्र के पत्र क्रमांक प.2(30)/नविवि/3/2016–पार्ट 1516–30 दिनांक 25.04.2017 को आदेश प्राप्त हुआ है। जिसमें EWS व LIG भूखण्डों को नियमन करने की शक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा निकाय स्तर पर दी जाने के निर्णय प्राप्त हुऐ। अतः प्रकरण कार्याकारी समिति में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श किया गया चूंकि उक्त भूखण्ड दिनाक 5 अप्रैल, 2012 को विवेक विहार योजना में श्रीमती कल्पना मीणा को आवंटन हुआ था। उक्त भूखण्ड का क्षैत्रफल 74.31 वर्ग मीटर है। लिहाजा यह प्रकरण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के अन्तर्गत नहीं आता है। अतः उक्त आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 37 :: श्री श्यामसिंह पुत्र श्री नवल दान को लॉटरी में खुले भूखण्ड संख्या 442 सेक्टर–बी विवेक विहार योजना के संबंध में।

श्री श्याम सिंह ने 27,837/– रू प्रतिमाह आय वर्ग अंकित करते हुए 91 से 220 व.मी. के क्षेत्रफल के भूखण्ड हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । लॉटरी दिनांक 09.09.2011 द्वारा उन्हे भूखण्ड संख्या डी 442 क्षेत्रफल 195.09 व.मी. भूखण्ड आवंटन हुआ। पूर्व में उक्त भूखण्ड श्रीमती रामा देवी को आवंटित होना बताया गया। श्रीमती रामा देवी द्वारा आवेदन सैनिक विधवा श्रेणी के आधार पर किया परन्तु पति की मृत्यु सेवानिवृत के पश्चात होने के कारण शहीद विधवा श्रेणी की पात्रता नही रखने के कारण निरस्त कर दिया गया था। श्रीमती रामादेवी द्वारा एस.बी. सिविल रीट पीटीशन संख्या 9134/2011 के आदेश दिनांक 26.09.2011 द्वारा स्थगन प्राप्त कर लिए जाने के कारण श्री श्याम सिंह को 195.05 व.मी. का अन्य भूखण्ड आवंटित किया जाना है। प्रार्थी श्री श्याम सिंह की भूखण्ड सं. 442 सेक्टर डी आवंटन की संपूर्ण राशि जमा है। उक्त भूखण्ड का कब्जा श्री श्यामसिंह को स्टे के बावजूद दिनांक 15.02.2013 को दिया जा चुका है। प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड पर त्रिपक्षीय समझोते द्वारा बैंक से ऋण भी ले रखा है। भूखण्ड पर स्थगन होने से प्रकरण कार्यकारी समिति मे विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

12.9.17

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श करने पर पाया गया कि श्रीमती रमादेवी जिन्हें पूर्व में भूखण्ड संख्या 442 सेक्टर डी विवेक विहार योजना क्षैत्रफल 195.09 वर्ग मीटर आवंटित हुआ था एवं बाद में उसे निरस्त कर श्री श्यामसिंह को भूखण्ड संख्या डी–442 आवंटित किया गया। श्री श्यामसिंह द्वारा प्रकरण में संपूर्ण राशि जमा करायी जा चुकी है। परन्तु श्रीमती रमादेवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है जिसके कारण श्री श्याम सिंह को भूखण्ड संख्या डी–442 की लीज डीड जारी नहीं की जा सकती है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री श्यामसिंह को उक्त भूखण्ड संख्या डी–442 विवेक विहार क्षैत्रफल 195.09 वर्ग मीटर का आवंटन निरस्त करते हुए समान चौडाई की सडक पर समान क्षैत्रफल का भूखण्ड आवंटन विवक विहार योजना में किया जावे। परन्तु इससे पूर्व श्री श्यामसिंह को निर्देशित किया जावे कि वह त्रिपक्षीय समझौते के तहत उक्त भूखण्ड के क्रम में बैंक से प्राप्त किये गये ऋण के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 38 :: श्री अशोक पुत्र श्री जयराम को भूखण्ड सख्या 207 सेक्टर जी विवेक विहार योजना का आवंटन पत्र जारी करने के संबंध में।

श्री अशोक पुत्र श्रनी जयराम को भूखण्ड संख्या 207 सेक्टर जी क्षेत्रफल 292.69 व.मी. का आवंटन लॉटरी दिनांक 09.09.2011 द्वारा विवेक विहार योजना मे हुआ। आवंटी द्वारा निर्धारित प्रारूप मे आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण उक्त भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया गया। आवंटी द्वारा प्राधिकरण के विरूद्ध जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष मंच जोधपुर (द्वितीय) में प्रकरण संख्या 89/15 (931/14) उनवान अशोक धायल बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जरिये सचिव दायर किया गयाा। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.09.2016 द्वारा वादी को आवंटित भूखण्ड संख्या 207 का आवंटन पत्र जारी कर कब्जा सुपुर्द करने एवं निर्धारित वांछित आरक्षित शुल्क की राशि वसूल कर उसके पक्ष में लीज डीड जारी कर रू. 25,000/– की क्षतिपूर्ति एवं रू. 5,000/– परिवाद व्यय 2 माह में भुगतान करने का आदेश दिया गया। प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बैंच जोधपुर में प्रथम अपील सख्या 115/2017 की गई। माननीय राज्य आयोग ने अपने निर्णय दिनांक 08.06.2017 द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी को माननीय न्यायालय के आदेशो के क्रम में भूखण्ड संख्या 207 सेक्टर जी का आवंटन बहाल करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या जी–207 क्षैत्रफल 292.69 वर्ग मीटर के भूखण्ड का आवंटन निर्णयानुसार तत्समय (15 सितम्बर, 2016) निर्धारित वांछित आरक्षित शुल्क की राशि वसूल कर किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 39 :: श्री कान्तीलाल खत्री पुत्र श्री गिरधारीलाल खत्री को आवंटित भूखण्ड संख्या 487 सेक्टर के संबंध मे।

श्री कान्तीलाल खत्री पुत्र श्री गिरधारीलाल खत्री ने प्राधिकरण की विवेक विहार योजना हेतु 30,001/– से 45,000/– प्रतिमाह आय वर्ग में 221 से 350 व.मी. के भूखण्ड हेतु अनुसूचित जाति वर्ग में आवंटन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को भूखण्ड संख्या के–487 क्षेत्रफल 460.12 व.मी. खुला। प्रार्थी ने आवेदन पत्र के साथ 43,728/– रू का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर हस्ताक्षर के नीचे जिला शिक्षा अधिकारी प्रांरभिक शिक्षा सिरोही अंकित है किन्तु

12.9.17

मोहर अंकित नही है। आय प्रमाण पत्र के नीचे मोहर अंकित नही होने के कारण पंजीका की कार्यालय टिप्पणी 19 एन की पालना में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.06.2012 एवं दिनांक 13.08.2012 द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी परिवार का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। प्रार्थी ने कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सिरोही द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र क्रमांक 2020 दिनांक 17.08.2012 प्रस्तुत कियां। जिसके अनुसार प्रार्थी के परिवार की आय रू. 48,130/– प्रतिमाह है। आय प्रमाण पत्र 48,130/– के आधार पर प्रार्थी का आवेदन निर्धारित वर्ग का नही मानते हुए तत्कालीन उपायुक्त ने लॉटरी में आवंटित भूखण्ड को निरस्त करने की टिप्पणी अंकित की है। निरस्तगी आदेश जारी नही हुआ है। प्रार्थी द्वारा निरन्तर आवंटन पत्र जारी करने की मांग की जा रही है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री कान्तीलाल पुत्र श्री गिरधारी लाल जिन्हें भूखण्ड संख्या के–487, विवेक विहार योजना आवंटित हुआ था। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत आय प्रमाण–पत्र राशि रूपये 43,728/– के आधार पर वर्तमान आरक्षित दर के आधार पर निर्धारित आय वर्ग की दर (115 प्रतिशत) पर आवंटन पत्र जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 40 :: श्री मदन सिंह पुत्र श्री मूलचन्द को सहमती के आधार पर राजीव गॉधी नगर में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

श्री मदन सिंह पुत्र श्री मूलचन्द को प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या ए–26 क्षेत्रफल 252 व.मी. पूर्वी पाल योजना में आवंटित किया गया। पूर्वी पाल योजना में खसरा विवाद है एवं विभिन्न न्यायालयों में वाद लंबित है। श्री मदन सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच में वाद सख्या 504/12 (485/09) दायर किया। माननीय न्यायालय ने दिनांक 11.03.2013 द्वारा आदेश पारित किया कि परिवादी को पूर्वी पाल योजना में आवंटित भूखण्ड सख्या ए–26 क्षेत्रफल 252 व.मी. का कब्जा भौतिक रूप से सुपुर्द करें और यदि उस भूखण्ड का कब्जा दिया जाना संभव नही हो तो उसी कीमत पर उतने ही नाप का भूखण्ड अन्य योजना में आवंटित कर भौतिक कब्जा दिया जाये एवं लीज डीड जारी की जावें साथ ही परिवादी को मानसिक क्षति एवं परिवाद व्यय पेटे रू. 7,000/– अदा करने के आदेश जारी किये गये। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा अपील की जाकर स्थगत आदेश प्राप्त किया गया है। प्रार्थी ने अन्य स्किम में भूखण्ड दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विधि शाखा के कार्यालय टिप्पणी 32 एन अनुसार चुंकि परिवादी ने वैकल्पिक भूखण्ड अन्य योजना में आवंटित करने पर अपनी सहमति प्रदान की है अतः प्रार्थी के आवेदन पर विचार करते हुए अन्य योजना मे वैकल्पिक भूखण्ड दिया जावें और उसके बाद अपील विड्रो किया जाना उचित होगा ताकि अनावश्यक पेचिदिगियों से बचा जा सके यदि उचित समझे तो जेडीए के वकील की राय ली जा सकती है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री मदनसिंह पुत्र श्री मूलचन्द को प्राधिकरण की पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या ए–25 क्षैत्रफल 252.00 वर्ग मीटर के स्थान पर यथा संभव समतुल्य क्षैत्रफल का भूखण्ड राजीव गांधी नगर योजना में आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 41 :: श्री रविदत्त शर्मा पुत्र श्री परसराम शर्मा को आवंटित भूखण्ड संख्या बी–150 पूर्वी पाल योजना के स्थान पर अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

12.9.13

श्री रविदत्त शर्मा पुत्र श्री परसराम शर्मा को प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में भूखण्ड संख्या बी–150 क्षेत्रफल 199.50 व.मी. आवंटित किया गयां। उक्त योजना में खसरा विवाद होने के कारण न्यायिक वाद लंबित रहने से प्रार्थी को भूखण्ड संख्या बी–150 के स्थान पर भूखण्ड संख्या आई–75 आवंटन कर कब्जा दिया गया एवं लीज डीड जारी की गई। प्रार्थी ने सेक्टर आई में विवाद होने के कारण अन्य विवाद रहित भूखण्ड आवंटन की मांग की है। मौका रिपोर्ट के अनुसार सेक्टर आई के अधिकांश क्षेत्र मे पानी भरा हुआ पाया गया तथा बीच में रिक्त भूमि में विवाद होना जानकारी में आया है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री रविदत्त शर्मा पुत्र श्री परसराम शर्मा को प्राधिकरण की पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–150 क्षैत्रफल 199.50 वर्ग मीटर के स्थान पर यथा संभव समतुल्य क्षैत्रफल का भूखण्ड राजीव गांधी नगर योजना में आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 42 :: जोधपुर मुख्यालय से बाहर स्थित शहरों में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्ति आदेश के अनुमोदन हेतु।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांकःएफ42/विधि/जेडीए/72–144/15 दिनांक 02.02.2015 के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण से संबंधित विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी। जोधपुर मुख्यालय से बाहर स्थित शहरों लूणी, ओसियां, भोपालगढ़, बावड़ी एवं पीपाड़ सिटी में स्थित सिविल एवं राजस्व न्यायालयों में प्राधिकरण से संबंधित दायर होने वाले न्यायिक प्रकरणों में उक्त आदेश क्रमांकःएफ42/विधि/जेडीए/ 72–144/15 दिनांक 02.02.2015 के द्वारा सिविल एवं राजस्व न्यायालयों के लिए नियुक्त अधिवक्ताओं के द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है। इस वजह से, जोधपुर मुख्यालय से बाहर स्थित शहरों लूणी, ओसियां, भोपालगढ़, बावड़ी एवं पीपाड़ सिटी में स्थित सिविल एवं राजस्व न्यायालयों में प्राधिकरण से संबंधित विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में (सूची संलग्न है– प्रदर्श 1) प्राधिकरण की ओर से अविलम्ब समुचित प्रतिरक्षण करना अत्यावश्यक होने के कारण आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदन के पश्चात् सचिव महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक :एफ42/ विधि/ जेडीए/ 1664–1683/ 2017 दिनांक 06.07.2017 के द्वारा लूणी में स्थित न्यायालयों के लिए श्री अनोप सिंह अधिवक्ता की, ओसियां, भोपालगढ़ व बावड़ी में स्थित न्यायालयों के लिए श्री भीका राम अधिवक्ता की एवं पीपाड़ सिटी में स्थित न्यायालयों के लिए श्री संग्राम सिंह अधिवक्ता की नियुक्ति पैनल अधिवक्ता के रूप में की गई है और ये नियुक्ति उक्त आदेश क्रमांकःएफ42/विधि/जेडीए /72–144/15 दिनांक 02.02.2015 में वर्णित शर्तों एवं देय फीस पर की गई है उक्त आदेश क्रमांकःएफ42/विधि/जेडीए/1664–1683/2017 दिनांक 06.07.2017 (प्रदर्श–2) अनुमोदनार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.42/विधि/जेडीए/1684–83/2017 दिनांक 6 जुलाई, 2017 का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 43 :: अधिवक्ताओं के नाम पैनल में शामिल करने हेतु।

12-9.17

जोधपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक:एफ42/विधि/जेडीए/72–144/15 दिनांक 02.02.2015 (प्रदर्श–3) के द्वारा विभिन्न न्यायालयों में प्राधिकरण से संबंधित विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण से संबंधित विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं के नाम उक्त आदेश क्रमांक:एफ42/विधि/जेडीए/72–144/15 दिनांक 02.02.2015 के क्रम संख्या 03 से 12 तक में वर्णित हैं। आयुक्त महोदय के समक्ष निदेशक (विधि) के साथ, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्राधिकरण से संबंधित विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में प्रभावी पैरवी के संबंध में विचार विमर्श में यह जाहिर हुआ है कि श्री शिव कुमार व्यास, अधिवक्ता, श्री रजनीश राजपुरोहित, अधिवक्ता एवं श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ता पूर्व में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रह चुके हैं और इन तीनों अधिवक्ताओं के नाम जेडीए की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल करने उचित रहेंगे और इस बाबत पत्रावली पर आयुक्त महोदय स्तर से अनुमोदन भी हो चुका है। अतः उक्तानुसार उक्त तीनों अधिवक्ताओं (श्री शिव कुमार व्यास, अधिवक्ता, श्री रजनीश राजपुरोहित, अधिवक्ता एवं श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ता) के नाम प्राधिकरण की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल करने हेतु विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं (इन अधिवक्ताओं को देय फीस एवं इनकी नियुक्ति की शर्तें उक्त आदेश क्रमांक : एफ42/विधि/जेडीए/72–144/15 दिनांक 02.02.2015 में वर्णितानुसार रहेगी)। उक्त के अतिरिक्त अन्य अधिवक्ताओं सोनू मानावत, धनसिंह राठौड़, मृगराज सिंह राठौड़, रवि पुरोहित, श्याम सिंह चौहान, गणपत सिंह, राजूसिंह राठौड़ एवं सुनील पुरोहित के आवेदन भी जोधपुर विकास प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता के रूप में नियोजित होने हेतु प्राप्त हुए। उक्त अधिवक्ताओं को भी आदेश दिनांक 02.02.2015 में वर्णित शर्तों पर पैनल में शामिल किए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं के पूर्व में जारी आदेश दिनांक 2 फरवरी, 2015 के कम में माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करने हेतु सर्व सम्मति से श्री शिवकुमार व्यास, श्री रजनीश राजपुरोहित, श्री राजेश चौधरी, अधिवक्ताओं के नाम उक्त आदेश अनुसार वर्णित पैनल में माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करने हेतु शामिल करने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त प्राधिकरण में प्राप्त अधिवक्ताओं यथा श्री सोनू मानावत, श्री धनसिंह राठौड, श्री मृगराज सिंह राठौड, श्री रवि पुरोहित, श्री श्यामसिंह चौहान, श्री गणपत सिंह, श्री राजूसिंह राठौड, श्री सुनिल पुरोहित के प्रार्थना–पत्र एवं बैठक के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा प्रस्तुत श्री जतन सिंह, श्री टीकम सिंह राठौड, श्री रविन्द्रसिंह राठौड के प्रार्थना–पत्रों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इन प्रार्थना–पत्रों का परीक्षण कर पत्रावली पर किस किस न्यायालय हेतु इन अधिवक्ताओं को जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से पैरवी किये जाने का दायित्व दिया जाना है, के लिए विधि शाखा से परीक्षण उपरान्त नियुक्त करने हेतु आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 44 :: अधिवक्ताओं की फीस एवं मानदेय में वृद्धि हेतु।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, अधिनस्थ न्यायालय, राजस्व न्यायालय एंव अन्य न्यायालयों में पैरवी करने वाले पैनल अधिवक्ताओं को बढ़ती हुई मंहगाई के अनुपात में देय फीस बहुत कम है जिसके कारण अधिवक्ता मुकदमें की पैरवी कारगर रूप से करने में असुविधा महसूस करते है ऐसी स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को प्रति मुकदमा 5,000/–रूपये के स्थान पर 7,000/–

12.9.17

अधिनस्थ न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को 3,000/–रूपये के स्थान पर 5,000/– प्रति मुकदमा, राजस्व न्यायालय में रिवन्यू बोर्ड में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को 5,000/–रूपये के स्थान पर 7,000/– प्रति मुकदमा एंव अधिनस्थ राजस्व न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को 3,000/–रूपये के स्थान पर 5,000/– प्रति मुकदमा एवं राज्य आयोग, उपभोक्ता सरंक्षण, सर्किट बैंच, जोधपुर में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को 3,000/–रूपये के स्थान पर 5,000/– प्रति मुकदमा भुगतान करना उचित होगा। सहायक अधिवक्ताओं को वर्तमान में 3,000/–रूपये प्रति माह भुगतान किया जाता है जिसे बढ़ाकर 5,000/–रूपये प्रति महा निश्चित किया जाना उचित रहेगा। न्यायालय में जेडीए द्वारा सिविल रेंफेंस प्रस्तुत किए जाते है उनमें अधिवक्ताओं को फीस भुगतान हेतु कोई मानदण्ड तय नहीं है उनमें भी प्रति प्रकरण 3,000/–रूपये का भुगतान किया जाना उचित होगा। पैनल अधिवक्ताओं को मुकदमों के खर्चे पूर्व की भांति देय होंगे।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित विवरण अनुसार अधिवक्ताओं की फीस एवं मानदेय संशोधित करने का निर्णय लिया गयाः–

क्र.सं.	माननीय न्यायालय का नाम	वर्तमान फीस प्रति प्रकरण	नवीन संशोधित फीस प्रति प्रकरण
1–	राजस्थान उच्च न्यायालय	5000/–	7000/–
2–	अधीनस्थ न्यायालय	3000/–	5000/–
3–	राजस्व मण्डल	5000/–	7000/–
4–	अधीनस्थ राजस्व न्यायालय	3000/–	5000/–
5–	राज्य उपभोक्ता मंच आयोग सर्किट बैंच एवं जिला उपभोक्ता मंच	3000/–	5000/–
6–	सहायक अधिवक्ताओं का मानदेय	3000/– मासिक	5000/– मासिक
7–	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत सिविल रेफरेन्स	कोई दर निर्धारित नहीं	3000/–

प्रस्ताव संख्या 45 :: राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत योजना में खातेदारी भूमि से अधिक भूमि प्राप्त होने पर नियमन के संबंध में निर्णय बाबत्।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत योजना में सरकारी भूमि होने पर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दू संख्या 13(अ) प्रावधान निम्नानुसार हैः–

In case of any government land falling within the are of the scheme the ULB may (if there is no scheme of ULB for the land in question) consider allotting the same to the developer upto 10% area of the scheme at the reserve price of the area or DLC rate, whichever is higher. In case the government land exceeds 10% of the area, prior approval of state Goverment shall be obtained.

खातेदारों द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90ए के तहत आवेदन करने पर कुछ खसरों के अन्तर्गत जमाबंदी में दर्ज भूमि से अधिक भूमि मौके पर पायी जाती है। उक्त अतिरिक्त/अधिक भूमि को सरकारी भूमि मानकर उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के तहत राशि जमा कर आवंटन/नियमन किया जानां प्रस्तावित होता है।

उक्त भूमि के नियमन हेतु आरक्षित दर एवं डी.एल.सी दर दोनों में से जो अधिक हो, पर नियमन का प्रावधान है। आवसीय आरक्षित दर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित है एवं व्यवसायिक दर आवासीय आरक्षित दर की दुगनी होगी तथा आरक्षित दर को तीन वर्ष पूर्ण होने पर 10

12-9.17

प्रतिशत की स्वतः बढोतरी माना जाने का प्रावधान है। जबकि डीएलसी दर अलग–अगल प्रकार की निम्नानुसार निर्धारित है–

1. यदि कृषि भूमि 1000 वर्गमीटर से कम है तो उसमें मुल्यांकन प्रति वर्गफीट की दर से किया जायेगा।

2. 01 बीघा से 02 बीघा तक कृषि भूमि के टुकड़ों/ब्लॉक के हिस्सें में बेचान होने की दशा में मालियत का 40 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ा जायेगा किन्तु एन,एच/एस,एच/बाईपास पर 100 व 200 मीटर की निर्धारित दरों में उक्त वृद्वि लागु नहीं होगी।

3. 02 बीघा से अधिक कृषि भूमि का मुल्यांकन प्रति बीघा की दर से किया जायेगा।

4. भूमि व्यवसायिक श्रेणी की होने या कृषि भूखण्ड/आबादी भूखण्ड का व्यवसायिक उपयोग होने पर उसी वर्ग की भूमि की दुगनी दर से मुल्यांकन होगा।
   सरकारी/अधिक भूमि के नियमन हेतु उक्त डीएलसी दरों में से डी.एल.सी किस दर के आधार पर प्रकरण पर कारवाई की जावें। डी.एल.सी दर निर्धारण हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं राजस्थान टाऊनशिप पॉलिसी, 2010 के बिन्दु संख्या 13.अ. के प्रावधान जो प्रस्ताव में वर्णित है, के क्रम में यह पाया गया कि जब भी निजी विकासकर्ता द्वारा कोई योजना काटी जाती है और उसमें राजकीय भूमि निजी भूमि के साथ सम्मिलित हो जाती है तथा निजी खातेदार के पास राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे की से अधिक क्षेत्रफल पाया जाता है तो उक्त बढ़े हुए अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए क्षेत्र की आरक्षित दर अथवा डी.एल.सी. दर जो भी अधिक हो, उसे वसूल करते हुए योजना अनुमोदित की जाती है एवं पट्टा जारी किये जाते हैं। इस प्रकार के प्रकरणों में यह निश्चित नहीं है कि डी.एल.सी. दर की गणना किस प्रकार की जावेगी। क्योंकि डी.एल.सी. दर का अनुमोदन जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा होता है और उसमें सामान्यतः निम्न प्रकार से दरों का उल्लेख किया जाता है:–

1. यदि कृषि भूमि 1000 वर्गमीटर से कम है तो उसमें मुल्यांकन प्रति वर्गफीट की दर से किया जायेगा।

2. 1000 वर्ग मीटर या उससे अधिक एवं 2 बीघा तक कृषि भूमि के टुकड़ों/ब्लॉक के हिस्सें में बेचान होने की दशा में मालियत का 40 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ा जायेगा किन्तु एन,एच/एस,एच/बाईपास पर 100 व 200 मीटर की निर्धारित दरों में उक्त वृद्वि लागु नहीं होगी।

3. 02 बीघा से अधिक कृषि भूमि का मुल्यांकन प्रति बीघा की दर से किया जायेगा।

4. भूमि व्यवसायिक श्रेणी की होने या कृषि भूखण्ड/आबादी भूखण्ड का व्यवसायिक उपयोग होने पर उसी वर्ग की भूमि की दुगनी दर से मुल्यांकन होगा।

अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के प्रकरणों में कौन–सी डी.एल.सी. दर से संबंधित क्षैत्र की आरक्षित दर से तुलना की जावे? इस

12.9.17

संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे जिससे कि दर निर्धारण में एकरूपता बनी रहे।

प्रस्ताव संख्या 46 :: वर्ष 2017–18 के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटरो की आपूर्ति हेतु कार्यादेश 495 दिनांक 25.07.17 के अनुमोदन बाबत्।

वर्ष 2017–18 के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटरो की आपूर्ति हेतु निविदा सूचना संख्या 07/2017–18 आईटम संख्या 01 दिनांक 26.04.2017 जारी की गई। उक्त निविदा दिनांक 30.05.2017 को खोली गई तथा कार्यादेश दिनांक 25.07.2017 को श्रीमान् आयुक्त महोदय की स्वीकृति पश्चात् कार्यकारी समिति में अनुमोदन की प्रत्यशा में 57 वे दिवस में जारी किया गया। दिनांक 01.05.2017 को जारी नई एस.ओ.पी. के आईटम संख्या 19 के अनुसार 51 से 60 दिनों की अवधि में निविदा को कार्यकारी समिति () में अनुमोदन पश्चात् अंतिम रूप से पूर्व किया जाना आवश्यक होता है।

अतः एस.ओ.पी. दिनांक 01.05.2017 के आईटम संख्या 19 संदर्भ में जारी कार्यादेश कार्यकारीी समिति में अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर की आपूर्ति हेतु जारी कार्यादेश कमांक 495 दिनांक 25 जुलाई, 2017 का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 47 :: Agenda Note for sanction of Extra- Excess items along with Revised Administrative & Financial Sanction for the work of Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of R.C.C. Sewer system & all accessories works, UPVC pipe including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in E-3 Zone (Pabupura & Basni Benda)

Agenda Note for the work under subject has been submitted for approval. Following are the salient features related to work.

Original A & F of the work	Rs. 2300.00 Lacs vide No. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/299-302 dated 31-05-2012, concurrence of EC meeting held on dated 16-06-2011.
Original TS of the work	Rs. 2296.00 Lacs vide no. DE(N)/5/12-13 dated 31-05-2012.
Revised A & F of the work	Rs. 2548.25.00 Lacs at Agenda no. 6(8) in EC meeting dated 30/07/2014 & 31/07/2014.
Work order Amount	Rs. 2938.94 Lacs
Agreement No.	F38(6)/2011-12
Likely Excess Amount (Statement Enclosed)	**RS. 103.29 Lacs (Approved by DE as per SOP)**
Likely Extra Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 466.29 Lacs** a) Extra Item available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order - Rs. 296.71 Lacs **(Approved by DE as per**

12-9-17

	SOP) b) Extra Item not available in and not included in sanctioned estimate/order (H Schedule) - Rs. 169.59 Lacs **(Approval required from EC as per SOP)**
Likely Saving in contract BOQ	**Rs. 1077.60 Lacs**
Total amount envisaged for completion of work	Rs. 2430.91 Lacs
Likely Price Escalation Amount	Rs. 300.00 Lacs
Revised A & F Amount	**Rs. 2730.23 Lacs (Approval required from EC)**

Reasons for Extra & Excess Work:

कार्यस्थल पर उपलब्ध भौतिक स्थिति में निम्नानुसार परिर्वतन के कारण:
1 कार्य हेतु संशोधित ड्राईंग व डिजाईन अनुसार कम गहराई वाले आईटम, 250 / 300 मी.मी. व्यास के पाईप व कम गहराई वाले मेनहॉल की अधिकता तथा अधिक गहराई वाले आईटम में बचत।
2.भू जल स्तर अत्यधिक ऊपर आने के कारण,
3. मेनहाल का उचित आईटम (1200 मीमी व 1600 मीमी व्यास की सीवर हेतु) टेंडर शेडूयल में नहीं होने के कारण),
4. 6. एनएच 112 पर रातानाडा चौराहे के पास नगर निगम की पुरानी 1000 मिमी व्यास की सीवर के मेनहाल से जीत अपार्टमेंट तक लगभग 100 मीटर लम्बाई में MS encasing पाईप सहित 1600 मिमी व्यास की सीवर का ट्रैंचलेस क्रॉसिंग के कार्य के कारण,
5. विनायकिया तिराहे के पास नाला क्रॉसिंग हेतु 1600 मिमी व्यास की सीवर का ट्रैंचलेस क्रॉसिंग के कार्य के कारण,
6. झागिया रॉकी परत के कारण, पूर्व में अतिरिक्त H शेडयूल आईटम जिसकी दर निदेशक अभियांत्रिकी से अप्रूवड हैं, उक्त आईटम की मात्रा में संशोधन साथ ही मौके अनुसार प्री कास्ट मेनहॉल (चुनाई वाले मेनहॉल से कम लागत) व घरों के कनेक्शन हेतु चेम्बर की डिजाईन में परिवर्तन के कारण (टेंडर शेडूयल में अत्यधिक बडे चेम्बर के कारण) एस.शेडयूल आईटमों की कुल संशोधित राशि रूपये 169.59 लाख

Reasons for Saving in contract BOQ:

कार्यस्थल में निम्नानुसार परिर्वतन के कारण:
1. 1200 मीमी व 1600 मीमी व्यास की सीवर हेतु टेंडर शेडूयल में उपलब्ध मेनहाल निर्माण का आईटम उपयुक्त नहीं होने के कारण,
2. घरों के कनेक्शन हेतु चेम्बर की डिजाईन में परिवर्तन के कारण (टेंडर शेडूयल के अत्यधिक बडे चेम्बर के स्थान पर छोटे चेम्बर का निर्माण)
3. कार्य स्कोप में सम्मिलित कुछ क्षेत्रों के सीवरेज प्रणाली बिछाने हेतु तकनीकी दृष्टि से फिजीबल नहीं पाये जाने के कारण तथा संशोधित डिजाईन अनुसार विभिन्न आईटमों में बचत आंकी गई है।

The total case is submitted for perusal and according approval.

12.9.17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निदेशक–वित्त का अतिरिक्त कार्य श्री तुलसीदास शर्मा द्वारा देखा जा रहा है। जो मूलतः आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में पदस्थापित है, आज दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु उदयपुर प्रवास पर है। अतः प्रकरण को लेखा शाखा से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 48 :: **Agenda Note for Revised Administrative & Financial Sanction along with sanction of tentative Deviation for the work of Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of sewerage system & all ancillary works, PVC-U pipes including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in South East zone, Jodhpur.**

Agenda Note for the work under subject has been submitted for concurrence. Following are the salient features related to work.

Original A & F of the work	Rs. 4981.00 Lacs, Job No. 1719/2012-13/JDA/PHE/Non-Scheme, DE letter No. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/1746-49 dated28/02/2013, confirmation in EC meeting dated 19-03-2013 at agenda no. 9.
Original TS of the work	Rs. 4965.50 Lacs vide no. DE(PHE)15/13-14 dated 12-08-2013.
Work order Amount	Rs. 5391.77 Lacs
Agreement No.	F38(4)/2013-14/EE ZONE-PHE
Likely Excess Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 2291.29 Lacs (Approved by JDC Sir)**
Likely Extra Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 481.09 Lacs (Approved by DE Sir)**
Likely Saving in contract BOQ	**Rs. 1959.32 Lacs**
Total amount envisaged for completion of work	**Rs. 6204.83 Lacs**
Likely Price Escalation Amount	Rs. 185.00 Lacs
Revised A & F Amount	**Rs. 6389.83 Lacs (Approval of EC required)**

Reasons for Extra & Excess Work:

The item wise are available in attached statements of excess and extra. The major reasons in this regard are as below:

1. Variation in quantity of pipe and manholes in accordance to finalized drawing/ design. The variation is both in terms of quantity and depth.
2. As per actual strata encountered at site and in accordance to finalized drawing/ design, there had been variation in quantity of earth work.
3. During the course of preparation of DPR & start of execution work, the increase of habitation in the scope area.
4. Inclusion of higher size manholes for trunk sewer, not available in BOQ of the work.

12-9-17

5. Variation in quantity of road dismantling and restoration in accordance to increased habitation and increase in road network.
6. Variation in BOQ quantity of trenchless work & inclusion of new trenchless work for crossing of National Highways, not included in BOQ of the work.

Reasons for Saving in contract BOQ:

1. As per finalized drawing/ design and available ground conditions, there had been corresponding saving in specific type and some sizes of pipes.
2. There had been saving in manholes of specific depths as per finalized drawing and alignment.
3. As per existing ground conditions saving in item of trenchless work.

The total case is submitted for perusal and according approval.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निदेशक–वित्त का अतिरिक्त कार्य श्री तुलसीदास शर्मा द्वारा देखा जा रहा है। जो मूलतः आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में पदस्थापित है, आज दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु उदयपुर प्रवास पर है। अतः प्रकरण को लेखा शाखा से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 49 :: Agenda Note for sanction of Extra- Excess items along with Revised Administrative & Financial Sanction for the work of Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of R.C.C. Sewer system & all accessories works, UPVC pipe including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in Vivek Vihar & Part area of E-4 Zone of Jodhpur city

Agenda Note for the work under subject has been submitted for approval. Following are the salient features related to work.

Original A & F of the work	Rs. 6442.00 Lacs vide No. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/742 dated 28-02-2013, concurrence of JDC vide no. 791 dated 26-02-2013 including cost of 15 MLD Sewage Treatment Plant (approx Rs. 1830.00 Lacs). Hence the net A & F amount for sewerage works comes out to Rs. 4612.00 Lacs.
Original TS of the work	Rs. 4576.94 Lacs vide no. DE(PHE)57/12-13 dated 07-03-2013.
Work order Amount	Rs. 4598.15 Lacs
Agreement No.	F38(1)/2013-14/EE ZONE-PHE
Likely Excess Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 1323.52 Lacs (Approved by DE as per SOP)**
Likely Extra Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 209.04 Lacs** a) Extra Item available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order -Rs. 169.22 Lacs

12-9-17

	(Approved by DE as per SOP) b) Extra Item not available in and not included in sanctioned estimate/order (H Schedule) - Rs. 39.82 Lacs **(Approval required from EC as per SOP)**
Likely Saving in contract BOQ	**Rs. 1539.15 Lacs**
Total amount envisaged for completion of work	**Rs. 4591.56 Lacs**
Likely Price Escalation Amount	Rs. 200.00 Lacs
Revised A & F Amount	**Rs. 4791.56 Lacs (Approval required from EC)**

Reasons for Extra & Excess Work:

1. In accordance to revised hydraulic design/ drawing as per confirmatory survey, there had been variation in various sizes of pipes with quantity of some sizes exceeding and at the same time there is saving for other quantities.
2. Similarly as per finalized drawing/ design there is variation in quantity of manholes and earth work for some depth it is exceeding with saving in other depths
3. Qty. of road cutting is also exceeding as per finalized design/ route and roads constructed during tender- work order phase.
4. Variation in various items of boundary wall construction for STP site as per layout finalized at site.
5. Inclusion of trenchless item for crossing of interceptor sewer at Shatabdi circle, Pali road.
6. Inclusion of small size chambers for property connection against bigger size chambers already included in the BOQ as per site requirement and considering cost saving.
7. Road restoration work deferred during the time of work order is now need of time and therefore is required to be executed as per the contract conditions/ BOQ.

Reasons for Saving in contract BOQ:

1. Revised drawing/ design of the work in accordance to confirmatory survey and actual ground conditions.
2. Proportionate saving against excess quantities of specific items.
3. Major saving in items of earth work in saturated soil, shoring.

The total case is submitted for perusal and according approval.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निदेशक–वित्त का अतिरिक्त कार्य श्री तुलसीदास शर्मा द्वारा देखा जा रहा है। जो मूलतः आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में पदस्थापित है, आज दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को राजकीय

12.9.17

कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु उदयपुर प्रवास पर है। अतः प्रकरण को लेखा शाखा से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 50 :: Agenda Note for sanction of Extra- Excess items for the work of Providing, Laying, Jointing, Testing and Commissioning of RCC Sewer System & all accessories works, uPVC pipes including Manholes, Property connections & Restoration of roads etc. in E-2 Zone (Ward no.57 Area)

Agenda Note for the work under subject has been submitted for approval. Following are the salient features related to work.

Original A & F of the work	Rs. 2409.00 Lacs vide No. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/303-306 dated 31-05-2012, concurrence of EC meeting held on dated 17-02-2012.
Original TS of the work	Rs. 2001.00 Lacs vide no. DE(N)/4/12-13 dated 31-05-2012.
Work order Amount	Rs. 2541.81 Lacs
Agreement No.	F38(7)/2011-12
Likely Excess Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 366.32 Lacs (Approved by DE as per SOP)**
Likely Extra Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 256.99 Lacs** a) Extra Item available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order - Rs. 86.83 Lacs **(Approved by DE as per SOP)** b) Extra Item not available in and not included in sanctioned estimate/order (H Schedule) - Rs. 170.16 Lacs **(Approval required from EC as per SOP)**
Likely Saving in contract BOQ	**Rs. 1171.77 Lacs**
Likely Price Escalation Amount	Rs. 200.00 Lacs
Revised A & F Amount	**Rs. 2165.89 Lacs (Approval required from EC)**

<u>Reasons for Extra & Excess Work:</u>

कार्यस्थल पर उपलब्ध भौतिक स्थिति में निम्नानुसार परिर्वतन के कारणः
1 भू जल स्तर अत्यधिक ऊपर आने के कारण,
2. कार्य हेतु मौका अनुसार तकनीकी सुधार करते हुए तैयार की गई संशोधित ड्राईंग व डिजाईन अनुसार परिवर्तन।
3. संशोधित डिजाईन व ड्राईंग अनुसार मेनहाल का उचित आईटम।
4. आर्मी गेट के सामने नाला क्रॉसिंग हेतु 600 मिमी व्यास के एम.एस पाईप का सीवर बिछाने हेतु ट्रैंचलेस क्रॉसिंग के कार्य के कारण,
5. झागिया रॉकी परत के कारण, पूर्व में अतिरिक्त H शेडयूल आईटम जिसकी दर निदेशक अभियांत्रिकी से अप्रूवड हैं, उक्त आईटम की मात्रा में संशोधन साथ ही मौके अनुसार घरों के कनेक्शन हेतु चेम्बर की डिजाईन में परिवर्तन के कारण (टेंडर शेडूयल में अत्यधिक बडे चेम्बर के कारण) एस.शेडयूल आईटमों की कुल संशोधित राशि रूपये 170.16 लाख

Reasons for Saving in contract BOQ:

कार्यस्थल में निम्नानुसार परिर्वतन के कारणः
1. कार्य स्थल अनुसार तैयार की गई संशोधित हाईड्रोलिक डिजाईन के कारण।
2. घरों के कनेक्शन हेतु चेम्बर की डिजाईन में परिवर्तन के कारण (टेंडर शेडूयल के अत्यधिक बडे चेम्बर के स्थान पर छोटे चेम्बर का निर्माण)
3. कार्य स्कोप में में सम्मिलित सीवर नेटर्वक 600 मिमी की लम्बाई में तकनीकी दृष्टि से फिजीबल नही पाये जाने के कारण, कमी बसावट रहित क्षेत्रों में लेटरल सीवर कार्य नही करना इत्यादि के कारण,

The total case is submitted for perusal and according approval.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निदेशक–वित्त का अतिरिक्त कार्य श्री तुलसीदास शर्मा द्वारा देखा जा रहा है। जो मूलतः आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में पदस्थापित है, आज दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु उदयपुर प्रवास पर है। अतः प्रकरण को लेखा शाखा से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 51 :: **Revised of A & F sanction of estimate for Bombay Yojna, R K Puram, Choka by accepting supervision charges included in estimates received from PHED.**

Agenda Note for the work under subject has been submitted for concurrence. Following are the salient features related to work.

- Executive Engineer, PHED, City Div. III vide letter no. 1374 dated 22-07-2014 forwarded estimate of Rs. 193.25 Lacs which included contingency charges @ 5% & supervision charges @ 17.5%.
- JDA accorded A & F sanction of Rs. 164.47 Lacs, for the work in EC meeting dated 30-07-2014 & 31-07-2014 at agenda no. 6(12) excluding supervision charges.
- First installment of Rs. 50.00 lacs was deposited in PHED vide cheque no. 642008 dated 10-11-2015.
- PHED has shown disability in taking up the work mentioning reason of non sanction due to exclusion of supervision charge in A & F sanction accorded by JDA.
- PHED has conveyed that inclusion of supervision charges in estimate is mandatory as per norms of State Government and as such revised A & F sanction including supervision charges is must for further action at PHED level.
- Matter has been discussed with PHED officers wherein they had submitted letters of Chief Engineer, PHED, Jaipur & Addl. Chief Engineer, PHED, Jodhpur in this regard for perusal and requested for according revised sanction (copy enclosed).

12.5.17

- In lieu of above not only First Installment against work, deposited to PHED remains un-utilized but the basic requirement of the habitants could not be fulfilled despite repeated demand.
- Since original A & F for the work was accorded by EC, the revised sanction needs to be accorded by EC.
- Further, estimates are being regularly demanded from PHED for development of water supply system in various JDA flagship colonies and other schemes. A general decision of according A & F sanction with supervision charges, if included in PHED estimate be taken at EC level.

The total case is submitted for perusal and according approval.

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा 164.47 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 जुलाई, 2014 में लिये गये निर्णय के अनुरूप सुपरविजन चार्जेज को घटाते हुए जारी की गयी थी एवं कार्य सम्पादन हेतु प्रथम किश्त राशि रूपये 50.00 लाख जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को हस्तान्तरित कर दी गयी थी परन्तु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उनके पत्र द्वारा अवगत कराया है कि कंटीजेन्सी एवं सुपरविजन चार्जेज के बिना उक्त कार्य की स्वीकृति विभाग को नहीं मिल सकेगी। लिहाजा निर्णय लिया गया कि अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिटी–III के पत्र क्रमांक 1374 दिनांक 22 जुलाई, 2014 के अनुसार राशि रूपये 164.47 लाख के स्थान पर 193.25 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (मय कंटीजेन्सी व सुपरविजन चार्जेज) के जारी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 52 :: लेवल क्रॉसिंग संख्या सी–7 के स्थान पर चार–लेन आर.ओ.बी. भदवासिया के निर्माण कार्य का Deviation Statement स्वीकृति एवं अंतिम बिल का संवेदक को भुगतान करने की स्वीकृति बाबत्।

लेवल क्रॉसिंग संख्या सी–7 के स्थान पर चार–लेन आर.ओ.बी. भदवासिया के निर्माण कार्य हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक विवरण दिनांक 29.03.2011 के प्रस्ताव संख्या 3–1(A) द्वारा रू. 35.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य का कार्यादेश मैसर्स राकेश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, मेहसाणा को अनुबंध संख्या F38(04)/2011-12 द्वारा रू. 27,44,34,682/– का जारी किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि क्रमशः 18.06.2011 एवं 17.12.2012 थी। संवेदक द्वारा दिनांक 14.02.2016 को कार्य पूर्ण कर दिया गया था एवं माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 15.02.2016 को लोकार्पण कर आमजन यातायात हेतु इसे खोल दिया गया था। इस कार्य को पूर्ण करने में विभिन्न कारणों के कारण विलम्ब हुआ था जिसका समयावधि प्रकरण प्राधिकरण की SOP अनुसार निविदा स्वीकृत समिति आयुक्त महोदय, सचिव महोदय, निदेशक वित्त एवं निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा दिनांक 27.04.2016 को स्वीकृत किया गया है। अंतिम बिल एवं Final Deviation Statement से पूर्व कार्य का अंतिम मूल्य वृद्धि बिल एवं मूल्य वृद्धि प्रकरण प्राधिकरण की SOP अनुसार निविदा स्वीकृत समिति आयुक्त महोदय, सचिव महोदय, निदेशक वित्त एवं निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा दिनांक 23.06.2017 को स्वीकृत किया गया है।

12-9-17

सम्पादित किये गये कार्य की मूल तकनीकी स्वीकृति निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की गई थी। आर.ओ.बी. परियोजना को स्वीकृत जी.ए.डी., स्वीकृत डिजाईन, ड्राईंग एवं कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार पूर्ण करने हेतु अनुबंध में पूर्वसम्मिलित जी–सेड्युल से अतिरिक्त एवं अधिक कुछ कार्य तकनीकी कारणों के कारण सम्पादित किए गए थे जिनकी स्वीकृती समय–समय पर सक्षम स्तर से ली गई थी। अधिक, अतिरिक्त एवं बचत आईटम क्रियान्वित होने के प्रमुख तकनीकी कारण निम्नानुसार हैः–

1. आर.ओ.बी. भदवासिया की डीपीआर बनाते समय कन्सलटेंट द्वारा किये गये Soil Investigation के आधार पर पीयर के नीचे Open foundation प्रस्तावित की गई थी। अनुबंध की शर्तों के अनुरूप संवेदक को Confirmatory Soil Investigation करना आवश्यक था। संवेदक द्वारा Confirmatory Soil Investigation करने पर 5 पीयर को छोड़कर शेष सभी पीयर में मिट्टी की भार–वहन क्षमता डिजाईन में ली गई भार वहन क्षमता से कम पायी गई। अतः पीयर संख्या A-1, P-1, P-2, P-3 एवं P-4 जिनमें मिट्टी की पर्याप्त भार–वहन क्षमता पायी गयी उनमें कन्सलटेंट द्वारा प्रस्तावित Open foundation का निर्माण किया गया। शेष 16 पीयर जिनमें मिट्टी की भार–वहन क्षमता डिजाईन भार–वहन क्षमता से कम पायी गयी उनमें Open foundation की जगह Pile foundation प्रस्तावित की गई। चूकिं आर.ओ.बी. के मूल G-Schedule में पाइल फाउण्डेशन का आईटम सम्मिलित नहीं था एवं कार्य स्थल पर मिट्टी की भार–वहन क्षमता डिजाईन में ली गई भार–वहन क्षमता से कम प्राप्त होने के कारण, foundation की डिजाईन को तकनीकी रूप से revised करना अतिआवश्यक होने के कारण कुल 21 पीयर में से 16 पीयर हेतु पाईल फाउण्डेशन का आईटम स्वीकृत किया गया। पाईल फाउण्डेशन हेतु 4 आईटम क्रमशः पाइल फाउण्डेशन, पाइल फाउण्डेशन हेतु पाईल का लाईनर, स्टील, पाइल कैप कॉन्क्रिट, पाइल लोड टेस्टिंग इत्यादि स्वीकृत कर क्रियान्वित किये गये। चारों आईटम्स में से 3 आईटम क्रमशः पाईल का लाईनर, स्टील, पाइल कैप कॉन्क्रीट एवं पाइल लोड टेस्टिंग आईटम्स का अनुबंध की धाराओं के अनुरूप PWD NH BSR 2010 के आधार पर स्वीकृत किया गया। चूकिं PWD NH BSR 2010 में M-35 Grade की पाइल कॉन्क्रिट का आईटम सम्मिलित नहीं है। अतः इस आईटम का बाजार दर पर आधारित विश्लेषण आईटम स्वीकृत किया गया। सभी अतिरिक्त आईटम्स के क्रियान्वयन पर लगभग रू. 3.87 करोड़ का व्यय हुआ।

2. आर.ओ.बी. के Sub-Structure निर्माण में पीयर एवं पीयर–कैप में लगने वाले स्टील की मात्रा डिजाईन एवं ड्राईंग अनुसार 367.736 MT मूल तकमीने से आधिक्य क्रियान्वित हुई जिस पर लगभग रू. 2.34 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ। साथ ही आर.ओ.बी. के Super Structure निर्माण में गर्डर एवं डैक–स्लैब में लगने वाली स्टील की मात्रा डिजाईन एवं ड्राईंग अनुसार 392.941 MT मूल तकमीने से आधिक्य क्रियान्वित हुई जिस पर लगभग रू. 2.53 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

3. आर.ओ.बी. निर्माण कार्य हेतु तकमिनें में प्री–कास्ट गर्डर एवं उनकी लॉन्चिंग का आईटम मुलतः लिया हुआ था। साईट पर 2 क्रेन एवं 1 ट्रेलर के घुमने की सीमित जगह के कारण मात्र 3 स्पान में ही लॉन्चिंग की जा सकती थी, शेष स्पान में कास्ट–इन–सीटू गर्डर द्वारा ही निर्माण कार्य संभव था। अतः शेष 17 स्पान हेतु कास्ट–इन–सीटू गर्डर का अतिरिक्त आईटम क्रियान्वित किया गया। इस अतिरिक्त कार्य पर लगभग रू. 91 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

4. एप्रुवड डिजाईन एवं ड्राईंग में क्रैश–बेरियर एवं मीडियन की कन्क्रीटींग का ग्रेड M-40 था किन्तु उक्त M-40 ग्रेड कन्क्रीट का समावेश मूल तकमिनें में नहीं था, जिस कारण M-40 ग्रेड कन्क्रीट का आईटम अलग से क्रियान्वित किया गया जिस पर लगभग रू. 67 लाख का व्यय हुआ।

12-9-17

5. आर.ओ.बी. भदवासिया की एप्रुवड जी.ए.डी. के अनुसार ब्रिज का एलाइग्नमेंट तत्कालीन रोडवेज वर्कशाप, रोडवेज डिपो एवं फ्रुट–मण्डी से होकर था। जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य पथ–परिवहन निगम के अधिकारियों के मध्य हुई वार्तानुसार यह तय किया गया कि ब्रिज निर्माण से पूर्व रोडवेज के शैड्स एवं स्टोर जो कि ब्रिज निर्माण की लाईन में आ रहे थे, उनका निर्माण रोड़वेज परिसर में ही नवीन स्थान पर किये जाने के बाद रोडवेज परिसर में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। साथ ही ब्रिज निर्माण की लाईन में आने वाली भदवासिया छोर की 23 दुकानों (जो कि पूर्व में यू.आई.टी. द्वारा ही निर्मित थी) एवं महामन्दिर छोर की 11 दुकानों की विस्थापना हेतु, इस कार्य के अन्तर्गत ही प्राधिकरण द्वारा कुल 52 दुकानों का निर्माण करवाना तय हुआ था। यह सभी बिल्डिंग कार्य आईटम्स मूल तकमिनें में सम्मिलित नहीं थे। अतः उक्त कारणों से बिल्डिंग कार्य हेतु अतिरिक्त/अधिक आईटम्स का क्रियान्वन किया गया। इन सभी कार्यों पर लगभग रू. 1.82 करोड़ का अतिरिक्त/आधिक्य व्यय हुआ।

6. उक्त वर्णित बिल्डिंग कार्यों में इलेक्ट्रिक फीटींग का कार्य भी करवाया गया, जिस कारण इलेक्ट्रिक के अतिरिक्त आइटम का क्रियान्वयन किया गया। साथ ही ब्रिज के पिल्लर संख्या 8 से रोडवेज के तत्कालीन जनरेटर, ट्रांसफोरमर एवं मीटर बॉक्स को नवीन स्थान पर शिफ्ट किया गया, जिस हेतु भी अतिरिक्त आईटम का क्रियान्वयन हुआ।

7. ब्रिज पर लाईटिंग हेतु तकमिनें में मूलतः सोडियम वैपर लाईट सम्मिलित थी। राज्य सरकार एवं ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार लाईटिंग हेतु ऊर्जा दक्ष LED लाईट का ही प्रयोग करने के निर्देश प्राप्त हुए। अतः LED लाईट का अतिरिक्त आईटम, सोडियम वैपर लाईट के स्थान पर क्रियान्वित किया गया। इस अतिरिक्त कार्य पर लगभग रू. 28.50 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

8. आर.ओ.बी भदवासिया के निर्माण कार्य समाप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 17.12.2012 थी। किन्तु समय पर निर्माण हेतु रोडवेज परिसर में आवश्यक भूमि उपलब्ध न होने के कारण व एन.एच. एवं भदवासिया छोर पर दुकानों के विस्थापन में समय लगने के कारण आर.ओ.बी. के निर्माण में विलम्ब हुआ एवं कार्य दिनांक 14.02.2016 को पूर्ण हो पाया। निर्माण के दौरान आमजन एवं यातायात की सुरक्षा की दृष्टि से आर.ओ.बी. निर्माण परिसर के चारों ओर बेरिकेटिंग लगाना आवश्यक था। अतः निर्माण कार्य में लगने वाले अतिरिक्त समय के दौरान (18.12.2012 से 14.02.2016 तक) संवेदक द्वारा की गई बेरिकेटिंग का भुगतान प्रचलित दर विश्लेषण आधार पर किया गया। इस अतिरिक्त कार्य पर लगभग रू. 32 लाख का व्यय हुआ।

9. ब्रिज निर्माण पश्चात् IRC अनुसार ब्रिज की टेस्टिंग हेतु, ब्रिज पर सुपर–स्ट्रक्चर लोड–टेस्टिंग आवश्यक है। इस हेतु ब्रिज के 3 स्पान (मय रेल्वे स्पान) पर सुपर–स्ट्रक्चर लोड–टेस्टिंग की गई। यह टेस्ट ब्रिज के मूल तकमिनें में सम्मिलित नहीं था। अतः यह कार्य अतिरिक्त आईटम के रूप में सम्मिलित किया गया जिस पर लगभग रू. 7.50 लाख का व्यय हुआ।

पूर्व में प्राधिकरण की कार्यसमिति की बैठक दिनांक 12.12.2012 में प्रस्ताव संख्या 33 के अन्तर्गत इस कार्य हेतु रू. 34.60 करोड़ का Deviation स्वीकृत किया गया था। कार्य की क्रियान्विति के काल में डिजाईन एवं ड्राईंग अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण आईट्म्स को सम्मिलित करते हुए अंतरिम Deviation तैयार किया गया था जिसकी राशि रू. 34.85 करोड़ आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.06.2015 को अंतरिम रूप में स्वीकृत की गई थी। कार्य के अंतिम बिल से पूर्व कार्य का Final Deviation Statement तैयार किया गया है जिसमें कुल आधिक्य रु 6.84 करोड एवम्, अतिरिक्त कार्य रु. 8.43 करोड एवं बचत रु. 12.29 करोड है

12-9-17

एवं परियोजना की कुल लागत रु. 33.54 करोड (रू. 3.11 करोड मुल्य वृद्धि बिल लागत + 30.43 करोड कार्य लागत) है जो कि पूर्व स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तीय सवीकृति की परीधि में ही है। अतः प्रकरण सक्षम स्तर पर अवलोकनार्थ, स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निदेशक–वित्त का अतिरिक्त कार्य श्री तुलसीदास शर्मा द्वारा देखा जा रहा है। जो मूलतः आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में पदस्थापित है, आज दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु उदयपुर प्रवास पर है। अतः प्रकरण को लेखा शाखा से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 53 :: आर.यू.बी. बी–72 के स्थान पर चार–लेन आर.ओ.बी. रिक्तियां भैरूजी के निर्माण कार्य में स्वीकृत डिजाईन एवं ड्राईंग के अनुसार सुपरस्ट्रक्चर कार्य हेतु M-55 Concrete Grade Mix Design में प्रयुक्त Silica Fumes (Non BSR Item) के भुगतान की स्वीकृति हेतु।

Proof Checked व Approved डिजाईन एवं ड्राईंग के अनुसार आर.ओ.बी. के सुपरस्ट्रक्चर में बॉक्स गर्डर पी3–पी4, पी17/18–पी19, पी23–पी24, पी44–पी45 एवं पी45–पी46 हेतु M-55 Concrete Grade है। आर.ओ.बी. रिक्तियां भैरूजी के सुपरस्ट्रक्चर के निर्माण कार्य हेतु कार्य के मूल तकमीने में M-45 Concrete Grade का आईटम लिया गया था। उपरोक्त बॉक्स गर्डर स्पानस् में M-55 Concrete Grade का Design Mix MBM Engineering College, Jodhpur से करवाया गया जिसकी Design Mix के अनुसार Concrete की आवश्यक Strength हेतु Micro Silica Fumes का उपयोग किया गया है। MORTH के Section 1715 में भी High Performance Concrete हेतु Silica Fumes का उपयोग आवश्यक बताया गया है। यदि Silica Fumes नहीं डाली जाती है तो High Performance Concrete की आवश्यक Strength नहीं प्राप्त होगी। आर.ओ.बी. के सुपरस्ट्रक्चर में बॉक्स गर्डर पी3–पी4, पी17/18–पी19, पी23–पी24, पी44–पी45 एवं पी45–पी46 में उपयोग ली जाने वाली M-55 Concrete Grade भी High Performance Concrete के अन्तर्गत आती है। अतः Design Mix अनुसार M-55 की $1M^3$ Concrete हेतु 65 किग्रा. Silica Fumes का उपयोग किया गया। Silica Fumes एक Non BSR Item है जिसकी दर विशलेषण पूर्व में निदेशक अभियांत्रिकी से अनुमोदित है। दर विशलेषण के अनुसार Silica Fumes के उपयोग पर M-55 की $1M^3$ Concrete हेतु रू. 1644 /– के अतिरिक्त व्यय की दर स्वीकृत की गई। डिजाईन एवं ड्राईंग के अनुसार आर.ओ.बी. के सुपरस्ट्रक्चर कार्य हेतु कुल $3600.00M^3$ M-55 Concrete की आवश्यकता रही। अतः रू. 1644/– की दर से $3600.00M^3$ M-55 Concrete हेतु कुल रू. 59,18,400/– की राशि Silica Fumes (Non BSR Item) के उपयोग हेतु अतिरिक्त आईटम के रूप में व्यय की गई। अतः Silica Fumes (Non BSR Item) हेतु रू. 59,18,400/– की राशि के भुगतान का प्रकरण अवलोकनार्थ एवं सक्षम स्तर पर स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निदेशक–वित्त का अतिरिक्त कार्य श्री तुलसीदास शर्मा द्वारा देखा जा रहा है। जो मूलतः आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में पदस्थापित है, आज दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु उदयपुर प्रवास पर है। अतः प्रकरण को लेखा शाखा से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

12.9.17

प्रस्ताव संख्या 54 :: जोन पूर्व के 17 जोनल विकास प्लान/सेक्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन कम्पनी वापकोस को कार्य देने के संबंध में विचार विमर्श बाबत्।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य (पी0आई0एल0 संख्या–1554/2004) मे दिनांक 12.01.2017 को पारित निर्णय के पृष्ठ संख्या–244 पर पैरा–205(ii) अनुसार मास्टर प्लान अनुमोदन पश्चात सम्बन्धित विभाग द्वारा सभी जोन हेतु जोनल/सेक्टर प्लान तैयार किये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो की पालना में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी जोनल/सेक्टर प्लान तैयार किये जाना है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.08.2017 के बिन्दु संख्या 23(i) के अनुसार "The state, Development Authorities and other local Authorities shall take immediate steps to preapare the zonal Development Plan/Sector Plan as mandated by the relevent statute and the master Development Plan of various cities. In the meanwhile and until further orders. no regularisation of unauthorised possession/constructions shall be permitted unless the same conforms to the land use plan and other norms laid down under the master development plan and zonal development plan/ sector plan of the concerned city."

पूर्व में जोधपुर मास्टर प्लान 2023 पर सेक्टर बाउण्ड्री मार्क कर जोनल/सेक्टर प्लान बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किया गया था। दिनांक 28.08.17 को अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक आहूत की गई जिसमें आयुक्त, सचिव, सभी जोन के उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक आयोजना उपस्थित थे। उक्त बैठक में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) अनुसार पुनः सेक्टर बाउण्ड्री मार्क कर जोनल/सेक्टर प्लान बनाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम मे मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) पर सेक्टर बाउण्ड्री मार्क की गयी तथा सम्पूर्ण क्षेत्र को कुल 58 सेक्टरों मे विभाजित किया गया।

आयुक्त महोदय के साथ हुई चर्चा के क्रम में प्रथम फेस में जोन पूर्व के जोनल प्लान/सेक्टर प्लान बनाये जाने है, जिस हेतु जोन पूर्व में 17 सेक्टर है, जिनका क्षेत्रफल निम्नानुसार है –

S.No	Sector No	Area(Sq.Km)	Area Hectare	S.No	Sector No	Area (Sq.Km)	Area Hectare
1.	31	12.16	1216	9.	40	23.54	2354
2.	32	20.15	2015	10.	43	30.88	3088
3.	33	24.27	2427	11.	44	10.94	1094
4.	35	26.29	2629	12.	45	7.00	700
5.	36	11.53	1153	13.	46	3.32	332
6.	37	6.32	632	14.	47	29.41	2941
7.	38	4.52	452	15.	49	13.27	1327
				16.	50	14.43	1443
8.	39	14.46	1446	17.	53	13.96	1396

TOTAL AREA = 266.45 SQ. MT OR 26645 HECTARE

भारत सरकार और राजस्थान सरकार से अनुमोदित भारत सरकार का उपक्रम वाप्कोस लिमिटेड को जोनल/सेक्टर प्लान बनाने के संबंध में दिनांक 30.08.2017 को वांछित सूचना हेतु पत्र जारी किया गया। जिसके क्रम में प्रोजेक्ट इन्जिनियर, वाप्कोस लिमिटेड द्वारा दिनांक 01.09.2017 को पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना उपलब्ध करवायी गयी है।

12-9-17

निम्नांकित के विचार विमर्श हेतु उपरोक्तानुसार कार्यकार समिति के समक्ष प्रस्तुत है –

01. मास्टर प्लान, 2023 के नगरीयकृत क्षेत्र के बाहर एवं मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (प्रारूप) के लैण्ड पुलिंग क्षैत्र के अन्दर स्थित जोन पूर्व के जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान बनाने के संबंध में निर्णय।

02. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 32 के अंतर्गत जारी वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के आईटम संख्या 47 के अंतर्गत उपापन वाप्कोस (WAPCOS) के माध्यम से किये जाने की प्रस्तावना पर विचारण एवं विनिश्चय बाबत।
03. रूपये 1200/– प्रति हैक्टेयर की अनुमानित दर से कुल व्यय 1200 X 26645 = 3.20 करोड लगभग है। जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत निर्णय।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः–

1– मास्टर प्लान, 2023 के नगरीयकृत क्षैत्र के बाहर एवं मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 (प्रारूप) के लैण्ड पुलिंग क्षैत्र के अन्दर स्थित जोन पूर्व के 17 जोनल डवलपमेन्ट प्लान/सेक्टर प्लान बनाने की स्वीकृति दी जाती है।

2– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के अन्तर्गत जारी वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर, 2013 के आईटम संख्या 47 के अन्तर्गत उपापन वाप्कोस (WAPCOS) के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– उपरोक्त निर्णय के कम में वाप्कोस कम्पनी को अविलम्ब लेटर ऑफ इनविटेशन जारी किया जावे एवं नियमानुसार बजट appropriation के वास्ते तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 55 :: आर.यू.बी. बी–72 के स्थान पर चार–लेन आर.ओ.बी. रिक्तियां भैरूजी के द्वितीय पुल के कम्पोजिट गर्डर स्थान पी 46 – पी 47 में आये डिफलेक्शन को सीमा में स्थिर करने हेतु Retrofitting कार्य करने की सैद्धन्तिक स्वीकृति बाबत् ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आर.ओ.बी. रिक्तियां भैरूजी की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति 111.00 करोड़ है एवं आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आर.ओ.बी. के विभिन्न स्पान की लोड टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर प्रथम तल के पुल को दिनांक 23.08.2017 को आमजन यातायात हेतु खोल दिया गया है एवं द्वितीय पुल जो कि नगर निगम से मेडिकल कॉलेज जाने के लिए निर्मित किया गया है उसके एक स्पान कम्पोजिट गर्डर पी 46 – पी 47 में आए डिफलेक्शन को सीमा में एवं स्थिर करने हेतु तकनीकी एक्सपर्टस द्वारा सुझाये गये Retrofitting कार्य को करने तक आमजन यातायात हेतु रोका गया है।

आर.ओ.बी. के डिजाईन सुपरविजन कन्सलटेंट मैसर्स आई.आई.आई.ई. बैंगलोर द्वारा प्रस्तुत Retrofitting कार्य की डिजाईन एवं ड्राईंग के अनुसार दो Intermediate Supports का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों Supports के मध्य कम्पोजिट गर्डर को Bow String Arrangement लगाकर डिफलेक्शन को सीमा में एवं स्थिर किया जाएगा। इस कार्य हेतु संवेदक द्वारा Bridge and Retrofit

12.9.17

Expert श्री सुनील एस. जाधव की सेवाएं ली जाएगी। इस समस्त Retrofit कार्य की अनुमानित लागत रू. 3.00 करोड़ है।

आर.ओ.बी. के 27वाँ रनिंग बिल जो कि 30.06.2017 तक किये कार्य का बनाया गया है उसके अनुसार संवेदक को रू. 97.90 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। गत दो माह जुलाई एवं अगस्त 2017 में किए कार्य का बिल बनाने का कार्य प्रगति पर है। अनुमानतः इस बिल की राशि रू. 5.00 करोड़ है। इसी प्रकार अधिशाषी अभियंता (विद्युत), जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये विद्युत कार्यों के बिल की अनुमानित राशि रू. 1.80 करोड़ है। अतः आर.ओ.बी. रिक्तियां भैरूजी के समस्त सिविल व विद्युत कार्यों का अनुमानित खर्च रू. 104.7 करोड़ है। यदि Retrofitting कार्य की अनुमानित लागत को इस राशि में जोड़ दिया जाता है तो संभावित व्यय रू. 107.7 करोड़ आने की संभावना है जो कि पूर्व स्वीकृत प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति की परिधि के अन्दर है। अतः आमजन की सुरक्षा एवं निर्मित स्ट्रक्चर की सुरक्षा की दृष्टि से द्वितीय पुल के कम्पोजिट गर्डर स्पान पी 46 – पी 47 में तकनीकी एक्पर्टस की राय के अनुसार Retrofitting कार्य करना अतिआवश्यक है। अतः प्रकरण समीति समक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में निदेशक–वित्त का अतिरिक्त कार्य श्री तुलसीदास शर्मा द्वारा देखा जा रहा है। जो मूलतः आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर में पदस्थापित है, आज दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु उदयपुर प्रवास पर है। अतः प्रकरण को लेखा शाखा से परीक्षण करवाकर आगामी बैठक में पुनः प्रस्तुत किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या 46/आवंटन मूल/E/C बैठक/17 कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या 65/एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

12.9.17
(अरूण पुरोहित)
सचिव

कमांक/बैठक/2017/1068-1102 दिनांक :: 12.09.2017

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर

09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / मुख्यालय / उपसचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I / II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

12.9.17

(अरूण पुरोहित)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 8 सितम्बर, 2017 को प्रातः 11.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री महिपाल कुमार, अतिरिक्त कलक्टर–शहर–द्वितीय, जोधपुर
2.	श्री अनिल शर्मा, तकनीकी सहायक अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3.	श्री नरेश चन्द्र, अधिशाषी अभियन्ता–नगर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4.	श्री राजेश कुमार अग्रवाल, अधिशाषी अभियन्ता– सीडी III, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5.	श्री हनुमान सिंह, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
6.	श्री भानुप्रताप, उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
7.	श्री गौतम जैन, सर्किल इन्सपेक्टर, जोधपुर ग्रामीण, पुलिस, जोधपुर
8.	श्री डी.के. मीना, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9.	श्री मुकेश मित्तल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री नन्दलाल शर्मा, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव

12-9-17